ISBN : 978-81-966958-3-5

स्व अध्ययन सामग्री
Self -Learning Material

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

वैकल्पिक धारा– विधिक विशेषज्ञता
मॉड्यूल – 1

भारतीय संविधान एवं न्यायिक प्रक्रिया
(Indian Constitution and Judicial Procedure)

दूरवर्ती अध्ययन एवं सतत शिक्षा केन्द्र
महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय
चित्रकूट सतना (म.प्र.) 485334

मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद्
(योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, म.प्र.शासन)
35, राजीव गांधी भवन, द्वितीय खण्ड, श्यामला हिल्स, भोपाल 462002

ISBN : 978-81-966958-3-5

मॉड्यूल – 1 भारतीय संविधान एवं न्यायिक प्रक्रिया

संस्करण 2022

अवधारणा :

श्री बी.आर. नायडू, महानिदेषक

मध्यप्रदेष जन अभियान परिषद्, भोपाल

मार्गदर्शन :

डॉ. जितेन्द्र जामदार, उपाध्यक्ष

मध्यप्रदेष जन अभियान परिषद्, भोपाल

श्री विभाष उपाध्याय, उपाध्यक्ष

मध्यप्रदेष जन अभियान परिषद्, भोपाल

डॉ. भरत मिश्रा, कुलपति

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विष्वविद्यालय, चित्रकूट

डॉ, धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय, कार्यपालक निदेषक

मध्यप्रदेष जन अभियान परिषद्, भोपाल

विशेष मार्गदर्शन :

जस्टिस वेद प्रकाश शर्मा, पूर्व न्यायधीश हाईकोर्ट बेंच, इन्दौर

पूर्व चेयनमेन, लॉ कमीशन, मध्यप्रदेश

लेखक :

पृथ्वी राज सिंह, शोध विश्लेषक

सम्पादक मण्डल :

प्रो. वीरेन्द्र कुमार व्यास, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विष्वविद्यालय, चित्रकूट

प्रो. अमरजीत सिंह, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विष्वविद्यालय, चित्रकूट

मुद्रक एवं प्रकाशक :

कुलसचिव, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विष्वविद्यालय, चित्रकूट

सम्पर्क : हेल्पडेस्क चित्रकूट – 07670–265627, हेल्पडेस्क भोपाल – 0755–2660203

वेबसाईट : www.cmcldp.org, **ई–मेल** :cmcldpcourse@gmail.com

लर्निंग मैनेजमेंट पोर्टल :http://web700.128.202.new.ocpwebserver.com/

लर्निंग एप्प :

कॉपीराइट : महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विष्वविद्यालय, चित्रकूट, मध्यप्रदेश

आभार : इस पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री अनेक स्रोतों, व्यक्तियों के अनुभव और संस्थाओं के प्रकाशनों तथा वेबसाईट्स पर उपलब्ध सामग्री के सहयोग से तैयार की गई है। सभी के प्रति कृतज्ञता और आभार।

ISBN : 978-81-966958-3-5

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री
मध्यप्रदेश

दिनांक:- 16-06-2022
पत्र क्रमांक - 641/22

संदेश

प्राचीन काल से हम मानते आए हैं कि विद्या से विनय, विनय से योग्यता, योग्यता से धन, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने शिक्षा को समाज एवं राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 निर्मित एवं अंगीकृत की है।

मध्यप्रदेश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया है। इसके समुचित क्रियान्वयन के लिए प्रयास भी हो रहे हैं। इस क्रम में मध्यप्रदेश सरकार महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, सतना और मध्यप्रदेश जनअभियान परिषद जनभागीदारी आधारित विकास के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में प्रयत्नशील है। राज्य सरकार "सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के संदेश के साथ विकास का लाभ समाज के अन्तिम व्यक्ति को प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम (सी.एम.सी.एल.डी.पी.) संचालित कर रही है। इसके तहत समाज कार्य स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का निर्माण और संचालन प्रारंभी किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम मध्यप्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी और अभिनव पहल है। इसका उद्देश्य समाज में वंचित और उपेक्षित समुदाय को शासकीय योजनाओं के माध्यम से जीवन स्तर में सुधार लाकर समाज को सक्षम नेतृत्व प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित समूह तैयार करना है और सामाजिक कल्याण और लोगों की सहायता पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है।

कुशल सामाजिक नेतृत्वकर्ता सरकार और वंचित लोगों के बीच सेतु का काम करते हैं। यह कोर्स उन लोगों के लिए अनुकूल है जो समाज के माध्यम से समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। इससे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। आगामी माह जुलाई 2022 से सत्र 2022-23 में पाठ्यक्रम अतर्गत बी.एस.डब्ल्यू.एवं एम.एस. डब्ल्यू की कक्षाएं प्रदेश के समस्त विकासखण्डों में स्थित अध्ययन केंद्रों पर आरम्भ होने जा रही हैं।

मुझे आशा है कि यह कोर्स बी.एस.डब्ल्यू.(बैचलर ऑफ सोशल वर्क) एम.एस. डब्ल्यू (मास्टर ऑफ सोशल वर्क) प्रदेश के 313 विकास खण्डों में अध्ययन-सह-प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से संचालित होगा और सामाजिक नेतृत्वकर्ताओं को सफलता प्राप्त होगी।

हार्दिक शुभकामनाएं।

(शिवराज सिंह चौहान)

ISBN : 978-81-966958-3-5

प्रो. भरत मिश्रा
कुलपति
महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय
विश्वविद्यालय, चित्रकूट

संदेश

सुप्रसिद्ध समाज सेवी भारतरत्न राष्ट्रऋषि नानाजी देशमुख के दूरदर्शी प्रयासों और पहल के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश शासन द्वारा चित्रकूट में पुण्य सलिला माँ मंदाकिनी के सुरम्य तट पर महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना 12 फरवरी 1991 को एक पृथक अधिनियम 9, 1991 के द्वारा देश के पहले ग्रामीण विश्वविद्यालय के रूप में हुई। विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य है–**'विश्वं ग्रामे प्रतिष्ठितम्'** अर्थात ग्राम विश्व का लघु रूप है। सर्वांगीण ग्राम्य विकास के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विगत तीन दशकों से विश्वविद्यालय अपनी सम्पूर्ण रचनात्मक ऊर्जा का विनियोग कर रहा है। निर्धन के मित्र, विकास के चिंतक और शासन के सहयोगी के रूप में विश्वविद्यालय ने अपनी उल्लेखनीय सेवायें प्रदेश और राष्ट्र को समर्पित की हैं।

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम (सी.एम.सी.एल.डी.पी.) मध्यप्रदेश शासन की एक महत्वाकांक्षी और अभिनव पहल है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश जनअभियान परिषद् के सहयोग से प्रदेश के समस्त 313 विकासखण्डों में विकास की आवश्यकताओं हेतु वांछित मानव संसाधन तैयार करने के उद्देश्य से समाज कार्य के स्नातक और परास्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों का संचालन करने जा रहा है। विश्वविद्यालय ने इस कार्य का शुभारम्भ शैक्षणिक सत्र 2015–16 से किया था। स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में अब तक एक लाख पच्चीस हजार से अधिक छात्र पंजीकृत होकर पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके हैं। पाठ्यक्रम की उपलब्धियाँ सहज ही गौरव की अनुभूति कराने वाली हैं।

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020' के युगान्तरकारी प्रावधानों ने भारतीय शिक्षा की दशा और दिशा में आमूलचूल परिवर्तन करने का शंखनाद कर दिया है। हमारा प्रदेश इसमें नेतृत्वकर्ता की भूमिका में है। हमारा विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए उपयोगी प्रावधानों को इस पाठ्यक्रम से अर्थपूर्ण रूप में जोड़कर इन्हें सत्र 2022–23 से पुनः संशोधित–परिवर्धित रूप में प्रारम्भ करने जा रहा है। पाठ्यक्रम यद्यपि दूरवर्ती पद्धति से संचालित है, किन्तु नियमित संपर्क कक्षाओं के आयोजन, उच्च गुणवत्ता की स्व–अध्ययन सामग्री एवं नई शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए शिक्षार्थी को 'लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टेम (एल.एम.एस.)' और 'स्मार्ट फोन' पर एक्सेस करने वाले एप्प के माध्यम से बेहतरीन शैक्षणिक अनुभव प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है। ऐसा करने वाला यह प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। पाठ्यक्रम का लक्ष्य गांव–गांव में विकास की क्षमता और समझ रखने वाले परिवर्तन दूतों को तैयार करना है। यह विश्वविद्यालय के लक्ष्यों के केन्द्र में भी है और *'संगच्छत्वम् संवदत्वम्'* की अवधारणा वाले मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् के क्रिया–कलापों के केन्द्र में भी है। समान अवधारणा और कार्यक्रमों से ग्राम्य जीवन को पुष्पित–पल्लवित करने वाले इन संस्थानों का मणि–कांचन संयोग प्रदेश के विकास परिदृश्य के लिए अनुकूल और अनुकरणीय होगा। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। पाठ्यक्रम से जुड़े शिक्षार्थियों, अभिभावकों, प्रशासकों, समन्वयकों और अन्य सभी को मेरी मंगलकामनाएँ!

प्रो. भरत मिश्रा

ISBN : 978-81-966958-3-5

पस्तावना

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज कार्य स्नातक पाठ्यक्रम (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत विकास) मध्यप्रदेश शासन की महत्वकांक्षी पहल है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसे क्षमतावान युवक एवं युवतियों को तैयार करना है, जिन्हें क्षेत्र के विकास की अच्छी समझ हो और जो क्षेत्र की समस्याओं की पहचान भी कर सकें। समस्याओं के निदान के लिए निर्णायक पहल कर सकें। आत्मविश्वास और ऊर्जा से ओतप्रोत नौजवानों की ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो समाज की समस्याओं के समाधान के लिए केवल सरकारी प्रयासों पर निर्भर न हो, बल्कि समुदाय के परिश्रम और पुरुषार्थ से ग्राम की या अपने आस–पास की परिस्थितियों को बदलने के लिए सकारात्मक पहल कर सकें। यह कार्य चुनौती भरा है, किन्तु असम्भव नहीं है। यथार्थ में अपने क्षेत्र के विकास में आपके योगदान से ही स्वर्णिम मध्यप्रदेश का स्वप्न साकार हो सकेगा। इसी की पहली कड़ी के रूप में यह पाठ्यक्रम आपके सम्मुख प्रस्तुत है, जिसमें परिवर्तन और विकास के दूत बनाने के लिए आपको सैद्धान्तिक और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रयास किया गया है कि आप ग्राम के विकास के प्रयासों को वैज्ञानिक स्वरूप दे सकें। आप जो भी सामुदायिक कार्य करें वह स्थायी हो, सबके सहयोग से हों और सबके विकास में सहयोगी हो। इस दृष्टि से समुदाय विकास के कुछ महत्वपूर्ण आयामों को इस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में आपके ज्ञानवर्धन एवं प्रशिक्षण हेतु समायोजित किया गया है।

प्रस्तुत माड्यूल **विधिक विशेषज्ञता वैकल्पिक अध्ययन धारा का पहला माड्यूल** हैं। शीर्षक हैं **भारतीय संविधान एवं न्यायिक प्रक्रिया।** भारत की संपूर्ण व्यवस्था भारतीय संविधान की प्रावधानों से संचालित होती हैं। अतः विधिक विशेषज्ञता के क्षेत्र में कदम रखने की पहली सीढ़ी हैं। संविधान और उसके विविध प्रावधानों का विस्तृत ज्ञान। यह माड्यूल संविधान के विविध आयामों और भारतीय न्यायियक प्रक्रिया पर प्रकाश डालता हैं। इस माड्यूल में विधिक विशेषज्ञता हासिल करने के लिए मार्ग में पड़ने वाले प्राथमिक पड़ाव संविधान और न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी सिलसिलेवार दी गई हैं। अतः यह माड्यूल इस विशेषज्ञ धारा का आधारभूत या फंडामेन्टल माड्यूल हैं। इसकी गहराई से समझ आपको पूरी विशेषज्ञ धारा में समझ बनाने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।

विश्वास है कि जानकारी एवं प्रशिक्षण आपके लिए उपयोगी और प्रभावी सिद्ध होगा। चलिए!
शुभकामनाओं के साथ पठन पाठन की इस रचनात्मक प्रक्रिया के साझीदार बनते हैं।

ISBN : 978-81-966958-3-5

मॉड्यूल–1 भारतीय संविधान एवं न्यायिक प्रक्रिया (Society and Culture)

इकाई–1 : भारतीय संविधान का परिचय

1.1 पृष्ठभूमि
1.2 प्रस्तावना और विशेषतायें
1.3 मौलिक अधिकार
1.4 मौतिक कर्त्तव्य
1.5 शासन प्रणाली – व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका

इकाई–2 : न्याय तंत्र – सामान्य परिचय

2.1 सर्वोच्च न्यायालय – संरचना, शक्तियाँ और कार्यप्रणाली
2.2 उच्च न्यायालय – संरचना, शक्तियाँ और कार्यप्रणाली
2.3 जिला एवं सत्र न्यायालय
2.4 व्यवहार न्यायालय एवं न्यायिक दंडाधिकारी
2.5 न्यायालयों के अन्य स्वरूप– ग्राम, राजस्व, श्रम व अन्य

इकाई–3 : अपराधिक न्याय त्रंत्र

3.1 पुलिस
3.2 अभियोजन
3.3 न्यायालय
3.4 जेल व्यवस्था
3.5 दोषी/आरोपी/पीड़ित/गवाह के न्याययिक अधिकार

इकाई–4 : मानवाधिकार

4.1 अवधारणा
4.2 उद्भव
4.3 संविधान और मानवाधिकार
4.5 मानवाधिकार अधिनियम 1993
4.6 संरक्षक आयोग की भूमिका

ISBN : 978-81-966958-3-5

इस मॉड्यूल के अध्ययन से निम्नवत क्षमतायें/कौशल विकसित होंगे –

- इस पाठ्यक्रम के अध्ययन से विद्यार्थी में विधिक व्यवस्था की परिचयात्मक समझ विकसित होगी।
- इस माड्यूल को पढ़कर भारतीय संविधान और न्याय व्यवस्था के प्रति आपकी आस्था और समझ बढ़ेगी जिससे आप अपनी न्यायिक व्यवस्था की विशेषताओं को पहचानने और उससे लाभ लेने का कौशल विकसित करेंगे।
- इस माड्यूल के अध्ययन से आपकी सामाजिक घटकों यथा व्यक्ति, समुदाय, परिवार, ग्राम और राष्ट्र की संकल्पनाएं विकसित होगी और इनकी निर्भरता को सूक्ष्म रूप में जान पायेंगे।
- इस माड्यूल के अध्ययन से आप विधिक व्यवस्था के विविध आयामों और न्याय प्रकिया को न सिर्फ जान सकेगे बल्कि इनका क्षरण रोकन मे सक्षम हस्तक्षेप से समुदाय को भी प्रभावित करेगे।
- भारत की बुनियादी समस्या अपने लोगों को दक्ष और प्रशिक्षित नागरिकों में बदलना है। जो कानून की समझ से अपने और समुदाय के शोषण को रोक सकें और विधिक व्यवस्था में उन्हें जो हक प्राप्त हैं, उनका समाज हित में प्रयोग कर सकें।

मॉड्यूल की सतत विकास लक्ष्यों से सम्बद्धता

- सतत विकास के समस्त 17 लक्ष्यों में व्यवस्था संबंधी आयामों का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः विधिक विशेषज्ञता विभिन्न लक्ष्यों के लिये कार्यरत विद्यार्थियों में विधिक जागरूकता विकसित करने और विधिक आयामों के जरिये लोगों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे।
- यह माड्यूल लोगों में जागरूकता के साथ–साथ कानूनी प्रक्रिया को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा, जिससे सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति संभव होगी।

शासकीय विभागों एवं योजनाओं से संबद्धता

- स्थानीय न्यायालय।
- ग्राम न्यायालय।
- समाज कल्याण विभाग।
- मानवाधिकार एवं पर्यावरण संरक्षण विभाग। स्वैच्छिक संगठन एवं औद्योगिक संगठन।
- शैक्षणिक संस्थाएं।
- विधि विभाग। नालसा एवं सालसा।
- शासकीय विभागों की गतिविधियाँ एवं योजनाओं को समुदाय स्तर पर सामूहिक सहभागिता के माध्यम से क्रियान्वित कराने में सहयोग।

इंटर्नशिप/व्यावहारिक कार्य अभ्यास

- यह माड्यूल इंटर्नशिप और व्यवहारिक अभ्यास कार्य के लिए स्थानीय स्तर के न्यायिक निकायों में अधिक प्रभावी होगा। इसके माध्यम से छात्र समुदाय में विधिक जागरूकता ला सकेंगे। ऐसे स्वैच्छिक संगठन जो कानूनी हकों के लिए समुदाय की पैरवी करते हैं, वहाँ पर भी प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकेगा।

ISBN : 978-81-966958-3-5

इकाई 1 भारत का संविधान : एक परिचय

उद्देश्य :

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप समझ सकेंगे :

- संविधान की प्रकृति व उद्देश्य
- संविधान की 'प्रस्तावना'(Preamble) का महत्व
- वो मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान अपने नागरिको को देता है।
- राज्य के नीति निदेशक तत्वों (Directive Principles of State Policy) का महत्व
- मौलिक कर्तव्यों का महत्व

परिचय:-

कानूनी विशेषज्ञता के इस मॉड्यूल के माध्यम से हम चाहते हैं कि समाज के प्रति अपनी सेवाएँ देने में हमारे सामाजिक कार्यकर्ता अधिक सशक्त और ज्यादा समर्थ हो। चूंकि कानूनी शिक्षा केवल एक ऐसा विषय नहीं है जो केवल कानून के दायरे को कवर करता है बल्कि इसके हाथ सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक क्षेत्रों तक फैले हुए हैं। जो दर्शाता है कि कानूनी शिक्षा एक तरह का मानव विज्ञान है और यह समाज के साथ कानून के संबंध को प्रस्तुत करता है। खासकर तब जब समाज के लगभग हर पहलू को कानून द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत में हमारे पास व्यक्तिगत, पारिवारिक, दीवानी, आपराधिक, राजस्व, वाणिज्यिक, कराधान, सार्वजनिक और अंतरराष्ट्रीय कानून आदि जैसे सभी प्रकार के कानून हैं। जिसका अर्थ है कि भारत का प्रत्येक नागरिक लगभग सभी प्रकार के कानूनों के एक समूह द्वारा शासित हो रहा है। जिसका अर्थ यह है कि भारत

ISBN : 978-81-966958-3-5

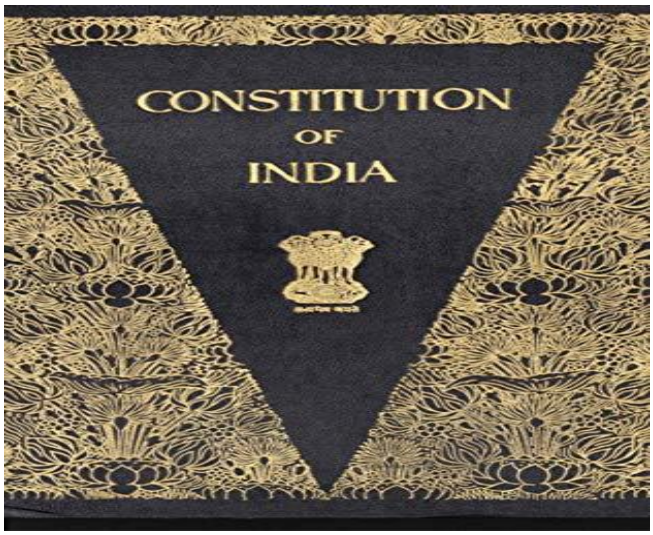

में कानून का ज्ञान होना सिर्फ वकीलों या कानूनी जानकारों के लिए सीमित ना होकर, हर भारतीय नागरिक के लिए इसका ज्ञान होना अनिवार्य है। भारतीय न्यायशास्त्र इस सिद्धांत पर आधारित है कि हर भारतीय को कानून की समुचित जानकारी हैं। जिसका मतलब है कि कानून की अज्ञानता किसी के लिए न्यायालय या अन्य जगह पर भी किसी व्यक्ति की सजा से बचने के लिए बहाना नहीं बन सकती। भारतीय न्याय व्यवस्था में किसी को भी कानून की अज्ञानता के आधार पर कानून के परिणामों से बचने के लिए बचाव के रूप में अज्ञानता की वकालत करने की अनुमति नहीं है। अर्थात कोई यह कह कर नहीं नहीं बच सकता कि जब उस के द्वारा कानून का उल्लंघन हुए उसे इसकी जानकारी या ज्ञान नहीं था।

ऐसी स्थिति में हर एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह अपने समाज को नियंत्रित करने वाले कानूनों के बारे मे जानता हो। चूंकि केवल क़ानूनी साक्षरता ही सामाजिक कार्यकर्ता को उतना समर्थ बना सकती है कि वह अपने समाज के कमजोर

ISBN : 978-81-966958-3-5

वर्ग के लिए सामाजिक और आर्थिक अधिकारों में समानता प्राप्त कर सके या करने के लिए उचित प्रयास कर सके। इसलिए कानूनी साक्षरता का यह मॉड्यूल सामाजिक कार्य के छात्रों को भारतीय कानून के मूल सिद्धांतों से परिचित कराने के लिए बनाया गया है। पाठ्यक्रम में भारतीय संविधान के मूल विचारों और प्रत्येक भारतीय नागरिक को दिए गए अधिकारों को शामिल किया गया है। अदालतों और पुलिस जैसे आपराधिक न्याय वाले संस्थानों की पदानुक्रम, भूमिका और कार्यप्रणाली को भी शामिल किया गया है। संवैधानिक संगठनों की भूमिका और कार्य जो वे मानव अधिकारों एवं अन्य वर्गों के लिए काम करते हैं, उनको भी विस्तार से समझाया गया है। समाज में वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी महत्वपूर्ण कार्य और नीतियां बताई गई है। फिर भी यह मॉड्यूल कानून की संदर्भ में एक पुस्तक का एक सेट नहीं है इसके बजाय यह एक विस्तृत पाठ्यक्रम है, जो आपको कानूनी शब्दावली से परिचित कराता है जो आपके कार्य क्षेत्र को आपके सामने प्रस्तुत करने वाली स्थिति के लिए आपको अपना स्वयं का शोध करने में सक्षम बनाता है और सहायता करती है।

भारत के संविधान की मूल विशेषता :-

किसी भी देश का संविधान उस देश का सर्वोच्च कानून होता है जो देश के राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांतों को निर्धारित करता है। एक संविधान में नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के साथ-साथ सरकार की शक्तियों और कर्तव्यों का समावेश होना चाहिए। भारतीय संविधान भी इस कथन का अपवाद नहीं है इसलिए नागरिकों के अधिकारों और

ISBN : 978-81-966958-3-5

कर्तव्यों के साथ-साथ भारतीय संविधान, संघ और राज्य सरकारों की भूमिका और कर्तव्यों को भी परिभाषित करता है। भारतीय संविधान सरकारों के संघीय चरित्र को परिभाषित करता है इसलिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंध के साथ-साथ यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच के संबंध को भी निर्धारित करता है। भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्योंकि यह न्यायपालिका के कार्य, राष्ट्रपति, राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों जैसी संस्थानों के बीच संबंधों की भूमिकाओं और शक्तियों को विस्तार से बताता है। सभी सरकारी कार्यालय, संस्थान, विभाग और अधिनियम या कानून, संविधान से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना अधिकार प्राप्त करते हैं। जिसका अर्थ है कि संविधान भारतीय लोकतंत्र का ऐसा अनुबंध है, जो जनता और जनता की चुनी हुई सरकार के बीच विश्वास स्थापित करता है।

संविधान का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा में विभिन्न राजनीतिक विचारों और जीवन के विविध अनुभवों वाले लोग शामिल थे। लेकिन वे सभी नए और स्वतंत्र भारत को एक ऐसा संविधान देने के लिए सहमत थे जो देश के हर कोने के लोगों, हर सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। इसलिए, समूचे भारत की सहमति से एक संविधान अपनाया गया जो अपने लोगों के लिए एक संघीय परन्तु विकेन्द्रीकृत राज्य सुनिश्चित करता है। अर्थात कई जगहों पर केंद्र सर्वोच्च है पर इस का मतलब यह नहीं कि राज्य अपनी शक्तियां केंद्र से प्राप्त करते है बजाय के दोनों अपनी जगह पूर्ण है । संविधान एक ऐसा समाज कि भी कल्पना करता है जो जाति, धर्म

ISBN : 978-81-966958-3-5

और आर्थिक असमानता पर आधारित असमानताओं से मुक्त। इन शर्तों पर सभी संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य के लिए सहमत हुए जो समाजवादी और गांधीवादी सिद्धांतों पर काम करेगा।

भारत का संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 से अधिक अनुच्छेद हैं जो कि 24 भागों और 12 अनुसूचियों में विभाजित हैं। 299 सदस्यों वाली संविधान सभा के सदस्यों ने इस ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने के लिए लगभग तीन साल (दो साल, ग्यारह महीने और सत्रह दिन) का समय लिया था। भारत का संविधान 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित और अपनाया गया था। यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।

संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर

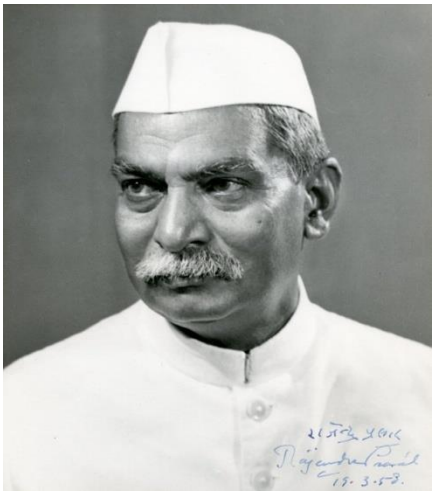

संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

ISBN : 978-81-966958-3-5

भारतीय संविधान की प्रस्तावना :-

"हम, भारत के लोग,
भारत को एक
सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य
बनाने के लिए और
उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास,
धर्म व उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए तथा
उन सब में व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता तथा अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

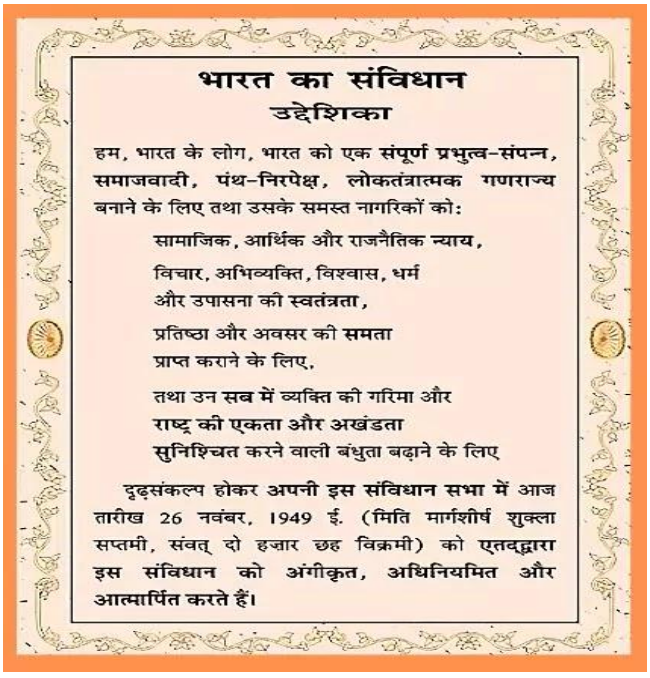

भारत का संविधान
उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

ISBN : 978-81-966958-3-5

भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उन मूल्यों का प्रतिबिंब है जिन पर संपूर्ण संविधान आधारित है। यह भारत को लोगों के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। प्रस्तावना के शुरुआती और अंतिम वाक्यों में: "हम, लोग इस संविधान को अपनाते हैं अधिनियमित करते हैं और खुद को देते हैं" उस शक्ति को दर्शाता है जो लोगों के हाथों में निहित है। हालाँकि प्रस्तावना अदालतों में लागू करने योग्य नहीं है लेकिन कई उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में यह स्वीकार किया गया है कि प्रस्तावना निश्चित रूप से भारत के संविधान के मौलिक मूल्यों की व्याख्या करने के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश है। यही कारण है कि प्रस्तावना सबसे अच्छा तरीका है जिसके माध्यम से हम स्वतंत्र भारत के उन मूल्यों और सिद्धांतों की याद दिला सकते हैं जिनके माध्यम से हमारे संस्थापक हमारे देश को चलाना चाहते थे। इसलिए प्रस्तावना को संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में मान्यता देना महत्वपूर्ण है।

संविधान में मौलिक अधिकार :-

सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि इन अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है। मौलिक का मतलब कुछ ऐसा जिसका होना किसी और चीज के होने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे घड़े के होने के लिए मिट्टी का होना जरूरी है। और इसलिए इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा गया क्यूँकि ये अधिकार मानव विकास और स्थिरता

ISBN : 978-81-966958-3-5

के लिए अनिवार्य हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हर मनुष्य को बुनियादी मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए को कुछ अधिकारों की आवश्यकता है और इसलिए ये अधिकार प्रकृति में मौलिक हैं। भारतीय संविधान में दो कारक जो इन्हें मौलिक अधिकारों का दर्जा देते हैं हर स्थिति में सभी के लिए प्रवर्तन की गारंटी है मतलब किसी भी स्थिति में इन्हें भंग या स्थगित नहीं किया जा सकता। और इनमें से किसी भी अधिकार के उल्लंघन के मामले में कोई भी व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है। फिर चाहे यह उल्लंघन किसी सरकार का अधिनियम या कानून द्वारा हो रहा हो, इसे अदालतों द्वारा अमान्य घोषित किया जा सकता है।

भारतीय संविधान के भाग तीन में मौलिक अधिकारों शामिल हैं:

1. अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता: कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। इसका मतलब है कि सभी व्यक्तियों को देश के कानूनों द्वारा समान रूप से संरक्षित किया जाएगा।

2. अनुच्छेद 15, भेदभाव का निषेध: इसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ उनके धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सभी दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर बिना किसी भेद भाव प्रवेश कर सकता है। राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग,

ISBN : 978-81-966958-3-5

के संबंध में कोई भी व्यक्ति जन्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी तरह के भेद भाव या शर्त के अधीन नहीं होगा।

3. अनुच्छेद 16, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता:- राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। कोई भी नागरिक केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी रोजगार या पद के लिए अपात्र नहीं होगा, या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि यह अनुच्छेद राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों या राज्य सरकार की राय में जिन वर्गों का सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है के पक्ष में राज्य सेवाओं में आरक्षण देने के लिए प्रतिबंधित नहीं करता है।

4. अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन:- यह अनुच्छेद 'अस्पृश्यता' को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को मना करता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा।

5. अनुच्छेद 18, उपाधियों का उन्मूलन:- भारत का संविधान उपाधियों को समाप्त करता है और राज्य को किसी भी नागरिक या विदेशी (सैन्य या शैक्षणिक भेद को छोड़कर) को कोई उपाधि प्रदान करने से रोकता है।

6. अनुच्छेद 19, स्वतंत्रता का अधिकार:- सभी नागरिकों को,

ISBN : 978-81-966958-3-5

(ए)) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा।

(बी) शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होना।

(सी) संघ या संगठन बनाने के लिए।

(डी) भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए।

(ई) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने के लिए।

(एफ)किसी पेशे का अभ्यास करना, या कोई व्यापार या व्यवसाय करना का अधिकार।

7. अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण:- इस अधिकार के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उस अपराध के लिए आरोपित नहीं किया जाएगा, जो कृत्य के समय अपराध के रूप में निर्धारित ना हो और न ही उस समय के कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम दंड व सजा से अधिक के लिए दंडित किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और न ही दंडित किया जाएगा। इस अधिकार के अनुसार किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

8. अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा:- कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है।

ISBN : 978-81-966958-3-5

2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में एक और खंड जोड़ा गया, जिसमें छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई।

9. अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण:- गिरफ्तार किए गए, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और न ही उसे अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी द्वारा बचाव परामर्श करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। (इस अधिकार के बारे में आप विस्तार से इस पुस्तक के 5वें अध्याय में पढ़ेंगे)।

10. अनुच्छेद 23 और 24, शोषण के खिलाफ अधिकार:- इस अधिकार के तहत संविधान मानव तस्करी, जबरन श्रम और 14 साल से कम उम्र के बच्चों के शारीरिक श्रम करने पर रोक लगाता है।

11. अनुच्छेद 25-31 प्रत्येक नागरिक को धर्म, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार देता है। उदाहरण के लिए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सभी नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म को मानने, बतलाने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। इसी तरह सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार कहता है कि सभी अल्पसंख्यक, धार्मिक या भाषाई, अपनी संस्कृति को संरक्षित और विकसित करने के लिए अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं।

ISBN : 978-81-966958-3-5

12. अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचार का अधिकार नागरिकों को अदालत जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि उनके किसी भी मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया है तो वह सीधे उच्चतम या उच्च न्यायालय जा सकते है। (इस अधिकार का अधिक विवरण आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे)

मौलिक अधिकारों के अनुभाग को अक्सर भारतीय संविधान के 'विवेक' के रूप में संदर्भित किया जाता है। औपनिवेशिक शासन के समय भारतीय राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार के हाथों अपने बुनियादी मानवाधिकारों की अनदेखी के कारण बहुत से अत्याचारों का सामना किए। ये वही लोग थे जिन्होंने बाद में स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण किया, और यही कारण था कि वे लिखित अधिकारों का एक सेट चाहते थे, जो स्वतंत्र भारत में राज्य द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ आम लोगों की रक्षा करे। इसलिए राज्य (शासन) के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मौलिक अधिकारों की गारंटी नागरिकों को राज्य द्वारा सत्ता के मनमाने प्रयोग से बचाती है।

हालाँकि भारत के संविधान के समक्ष सभी की समानता के बावजूद समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया, और उनके उत्थान और सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रावधान प्रदान किए गए। इसी तरह, अल्पसंख्यकों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के मुद्दे को संबोधित करने के लिए, संविधान अल्पसंख्यकों को उनकी धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक पहचान की रक्षा के अधिकारों की गारंटी देता है। हालाँकि ये सभी अधिकार निरपेक्ष नहीं हैं लेकिन इस सिद्धांत पर आधारित कुछ उचित प्रतिबंधों के साथ हैं कि एक

ISBN : 978-81-966958-3-5

व्यक्ति के अधिकार को दूसरे व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन या अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। और इसलिए हर अधिकार कुछ उचित प्रतिबंधों के साथ आता है।

अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 'संवैधानिक उपचार' का अधिकार हमारे संविधान के 'दिल और आत्मा' के रूप में है क्योंकि यह एकमात्र अधिकार है जो बाकी अधिकारों को प्रभावी और सार्थक बनाता है। इसका मतलब यह है कि जब साथी नागरिकों, निजी निकायों या सरकार द्वारा हमारे अधिकारों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन होता है तो एक व्यक्ति को भारत के सर्वोच्च न्यायालय या संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय से सीधे उपचार लेने का अधिकार है। जैसा कि डॉ अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों के बारे में कहा है उनका उद्देश्य दो तरफा है। पहला उद्देश्य यह है कि प्रत्येक नागरिक को उन अधिकारों का दावा करने की स्थिति में होना चाहिए। और दूसरी बात, यह की सारे अधिकार हर उस प्राधिकरण के लिए बाध्य होने चाहिए, जिसके पास कानून बनाने की शक्ति है।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (Directive Principles):-

मौलिक अधिकारों के अलावा, संविधान में एक खंड और भी है जिसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है। भारत के संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) शामिल हैं। इस खंड को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अधिक से अधिक सामाजिक और आर्थिक सुधार सुनिश्चित करने और स्वतंत्र भारतीय राज्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने के लिए प्रारूपित किया

ISBN : 978-81-966958-3-5

गया था। दो शताब्दियों के लंबे औपनिवेशिक शासन के बाद, देश व्यापक गरीबी, भूख और गहरी सामाजिक-आर्थिक असमानताओं से घिरा हुआ था। इसलिए संविधान निर्माताओं ने भविष्य की सरकार के लिए नीति निर्देशों या दिशा-निर्देशों के एक सेट प्रारूपित किया, जो उन्हें आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से समानता लाकर गरीबी को कम करने और समाज में समानता प्राप्त करने में मदद कर सके।

नया स्वतंत्र भारत सीमित संसाधनों और सीमित अनुभव के साथ खड़ा था, इसलिए मौलिक अधिकारों के माध्यम से समानता, अवसर और अधिकारों के हर वांछनीय प्रावधान को सुनिश्चित करना उनके लिए व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं था। इसलिए DPSP के खंड को भविष्य की सरकार के लिए मार्गदर्शक प्रारूप के जैसे बनाया गया, ताकि वे संविधान के शेष उद्देश्य को पूरा कर सकें। अर्थात DPSP मौलिक अधिकारों की तरह प्रवर्तनीय नहीं है। और किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था द्वारा इनका पालन ना करने की सूरत में, इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परन्तु फिर भी भारत के विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि वे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों मे दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करें।

राज्य के नीति निदेशक तत्व इस प्रकार हैं:-

1) अनुच्छेद-38 कहता है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक

ISBN : 978-81-966958-3-5

व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार सूनिश्चित करना भी राज्य के कर्तव्यों में निहित है।

2) अनुच्छेद 39: राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा, जैसे:-

- सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार।
- भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिये व्यवस्थित करना।
- कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना।
- पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिये समान वेतन।
- श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा।
- बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न होने देना ।

3) अनुच्छेद -40:- राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा।

ISBN : 978-81-966958-3-5

4) अनुच्छेद-41:- राज्य, अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अक्षमता के मामलों में काम करने, शिक्षा के अधिकार और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा।

5) अनुच्छेद 42:- राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिये प्रावधान करेगा।

6) अनुच्छेद 43:- राज्य सभी कामगारों के लिये निर्वाह योग्य मज़दूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

- अनुच्छेद 43A:- उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये राज्य कदम उठाएगा।

7) अनुच्छेद-44:- राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।

8) अनुच्छेद-45:- बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। 2002 में इस मूल प्रावधान को संशोधित किया गया और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा मौलिक अधिकारों के खंड में जोड़ा गया जिसे आप अनुच्छेद 21-ए के तहत मौलिक अधिकारों के खंड में पढ़ सकते हैं।

ISBN : 978-81-966958-3-5

9) अनुच्छेद-46:- राज्य कमजोर वर्ग के लोगों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से बढ़ावा देगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।

10) अनुच्छेद 47:- राज्य (शासन) लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करेगा। विशेष रूप से, नशीले पेय और नशीले पदार्थ जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं के उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। ।

11) अनुच्छेद-48:- राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने का प्रयास करेगा और गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएगा। 47वें संशोधन द्वारा इस अनुच्छेद में एक और उपवाक्य जोड़ा गया जो कहता है कि (अनुच्छेद-48ए) राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

12) अनुच्छेद -49:- कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु की रक्षा करना राज्य का दायित्व होगा।

13) अनुच्छेद -50:- राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।

14) अनुच्छेद-51:- राज्य यह प्रयास करेगा, जैसे:-

क) अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना;

ISBN : 978-81-966958-3-5

बी) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना;

ग) संगठित लोगों के एक दूसरे के साथ व्यवहार में अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना; और

घ) मध्यस्थता द्वारा अंतरराष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना;

जैसा कि नाम से पता चलता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वे सिद्धांत हैं, जिन्हें संविधान में भविष्य की सरकारों को निर्देशित और मार्गदर्शन करने के लिए जोड़ा गया था ताकि वे निकट भविष्य में कभी-कभी संविधान निर्माताओं की अधूरी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। और जैसा कि अपेक्षित था, पिछले कुछ दशकों में बढ़ते संसाधनों और क्षमताओं के साथ विभिन्न सरकारों ने ऐसे प्रावधान या कानून बनाए हैं जो भारत को उस लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं जो हमने स्वतंत्रता के समय एक नए भारत के लिए निर्धारित किए थे। पंचायती राज या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम या श्रम सुधार जैसे कई सुधार डीएसपीएस के माध्यम से खुद को दी गई महत्वाकांक्षा का परिणाम हैं।

मौलिक कर्तव्य :-

कोई भी राष्ट्र केवल सरकार के प्रयासों से समृद्ध नहीं हो सकता है देश के विकास के लिए नागरिकों की समान भागीदारी वास्तव में आवश्यक है। जिसका अर्थ अधिकार नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र और साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। हालाँकि जब वर्ष 1949 में संविधान को अपनाया गया था, तब मौलिक

ISBN : 978-81-966958-3-5

कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 1976 में 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा यूएसएसआर (USSR) से ली गई थी। मौलिक कर्तव्यों के समावेश ने हमारे संविधान को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 29 (1) और अन्य देशों के कई आधुनिक संविधानों के प्रावधानों के अनुरूप बनाया है।

मौलिक कर्तव्यों को अनिवार्य रूप से भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्मों और प्रथाओं से लिया गया है। अनिवार्य रूप से ये ऐसे कर्तव्य थे, जो भारतीय जीवन शैली के अभिन्न अंग थे, इस खंड को संविधान में जोड़ कर इन कर्तव्यों का संहिताकरण किया गया हैं। मूल रूप से दस मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51ए के तहत सूचीबद्ध किया गया था। बाद में, 86वें संविधान के आधार पर 2002 में संशोधन, 11वां कर्तव्य जोड़ा गया।

भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य इस प्रकार हैं:-

यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा;

1) संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। ;

2) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना।

ISBN : 978-81-966958-3-5

3) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रयास करना।

4) देश की रक्षा करना और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करना।

5) धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना।

6) हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना।

7) वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, और सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयाभाव रखना।

8) मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना।

9) सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना।

10) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर उपलब्धि के नए उच्च स्तर तक पहुंचे।

11) जो माता-पिता या अभिभावक हैं उन्हें छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चो को शिक्षा के अवसर प्रदान करना।

ISBN : 978-81-966958-3-5

सारांश

भारत का संविधान वह वाचा है जिससे प्रत्येक सार्वजनिक यानी सरकारी प्राधिकरण अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता है। एक व्यक्ति, विशेष रूप से आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ता के पास भारतीय संविधान और इससे लिए गए अन्य कानूनी प्रावधानों के ज्ञान की शक्ति के साथ सामाजिक कार्य का अपना अच्छा इरादा होना चाहिए। यहाँ इस अध्याय में आप संविधान के सबसे आवश्यक प्रावधान से परिचित हुए हैं। हालाँकि यह भविष्य में आपके कार्यक्षेत्र के लिए पर्याप्त नहीं भारत का संविधान वह वाचा है जिससे प्रत्येक सार्वजनिक यानी सरकारी प्राधिकरण अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता है। एक व्यक्ति, विशेष रूप से आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ता के पास भारतीय संविधान और इससे लिए गए अन्य कानूनी प्रावधानों के ज्ञान की शक्ति के साथ सामाजिक कार्य का अपना अच्छा इरादा होना चाहिए। यहाँ इस अध्याय में आप संविधान के सबसे आवश्यक प्रावधान से परिचित हुए हैं। हालाँकि यह भविष्य में आपके कार्यक्षेत्र के लिए पर्याप्त नहीं है इसलिए निष्कर्ष में हम आपको भारतीय संविधान के कई अन्य वर्गों जैसे कि संसद में बिलों को पारित करने से संबंधित अनुभागों को गहराई से जानने के काम के साथ छोड़ना चाहते हैं।

अवधारणात्मक शब्दों का अर्थ **(Meaning of Conceptual terms)**

- **संविधान की प्रस्तावना** : भारतीय संविधान की आत्मा जिसमे संविधान निर्माता कैसा भारत चाहते थे उसकी झलक हैं। इसमें संशोधन भी हुए हैं।
- **मौलिक अधिकार** : संविधान प्रदत्त वे अधिकार जिनका सुनिश्चित किया जाना राज्य की जिम्मेदारी हैं।
- **मौलिक कर्तव्य** : वे प्रावधान जिनके अनुरूप आचरण करना राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक दायित्व हैं।

ISBN : 978-81-966958-3-5

- **राज्य के नीति निर्देशक तत्व** : भारतीय संविधान में वर्णित वे मार्गदर्शक सिद्धांत जिनके आधार पर लोक कल्याणकारी व्यवस्था सृजित और संचालित की जाती हैं।

स्व–मूल्यांकन (Self-Assesment)

- **दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long answer type questions)**

1. भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं लिखिए।
2. भारतीय संविधान की प्रस्तावना को स्पष्ट कीजिए।
3. मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं?
4. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को समझाइये।
5. मौलिक कर्तव्य क्या हैं?

- **लघु उत्तरीय प्रश्न (Short answer type questions)**

1. भारतीय संविधान मे किन महत्वपर्ण देशों की झलक मिलती हैं?
2. संविधान के अनुसार शासन के कितने अंग हैं?
3. भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? और क्यूं?
4. भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद और धाराएं हैं?
5. भारत के संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं?

- **अति लघुउत्तरीय / वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Very short/ Objective type questions)**

1. संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?
2. संविधान की प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थें?
3. भारतीय संविधान कब बना?
4. भारतीय संविधान कब लागू हुआ?
5. गणतंत्र दिवस किस उपलक्ष्य में मनाते हैं?

प्रदत्त कार्य (Assignment)

1. विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अंतर का पता लगाएं और समझाएं
2. एक नाटक तैयार करें जो संविधान सभा की नकल करे और अपने इलाके के किसी भी सरकारी स्कूल के छात्रों के साथ संविधान की धाराओं पर चर्चा और बहस करे।

ISBN : 978-81-966958-3-5

3. मौलिक और कानूनी अधिकारों के बीच अंतर का पता लगाएं और पांच अंतरों को लिखें
4. गांधीवादी, समाजवादी सिद्धांतों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की विचारधारा की प्रकृति के आधार पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अलग करें (जो सिद्धांत इनमें से किसी भी श्रेणी में उपयुक्त नहीं होते हैं उन्हें विविध सिद्धांतों की श्रेणी के तहत लिखें)
5. राज्य के नीति निदेशक तत्वों से प्रेरित प्रमुख सुधारों का पता लगाएं और उन्हें नोट करें।
6. विभिन्न कर्तव्यों के विशिष्ट कार्यान्वयन के साथ देश के प्रत्येक नागरिक के लिए नागरिक भागीदारी को अनिवार्य बनाने के लिए भारत के राष्ट्रपति के नाम एक आवेदन पत्र लिखें। आपको 3 देशों का उदाहरण भी देना होगा, जहां पहले से ही अनिवार्य नागरिक भागीदारी का यह खंड है। आवेदन में आपके विचार भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की सीमा के भीतर होने चाहिए।

संदर्भ **(References)**

1. भारत का संविधान – सुभाष कश्यप, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली
2. भारत की राजव्यवस्था – एम लक्ष्मीकांत, टाटा मेग्रा हिल, नई दिल्ली
3. भारत का संविधान – डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, बुद्धा पब्लिशर्स, जयपुर
4. भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था – डॉ. अल्पना पारीक, राजस्थान ग्रन्थ अकादमी
5. भारत का संविधान : एक परिचय – डॉ. दुर्गा दास बसु, लेक्सिस नेक्सिस पब्लिकेशन

ISBN : 978-81-966958-3-5

इकाई 2 **न्यायपालिका : एक परिचय**

उद्देश्य :-

यह अध्याय पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे:-

- भारतीय न्यायपालिका की संरचना और पदानुक्रम
- समाज में निष्पक्ष न्याय वितरण प्रणाली द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका का महत्व
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की सीमा
- किसी राज्य के उच्च न्यायालयों और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की सीमा
- भारत में मौजूदा न्यायिक प्रणाली की कार्यप्रणाली

परिचय :

प्रत्येक मानव समाज में विवाद उत्पन्न होते हैं और इसलिए सुचारू रूप से कार्य करने के लिए उन्हें एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय वितरण प्रणाली की आवश्यकता होती है। वास्तव में, कोई भी समाज तब तक विकसित नहीं हो सकता है जब तक कि वह न्याय और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक सशक्त प्रणाली विकसित कर नहीं लेता। यह प्रणाली दो प्राथमिक तत्वों पर काम करती है। एक कानून है जो समाज की आवश्यकता और स्थिति के अनुकूल है और दूसरा एक अच्छी तरह से स्थापित संस्था है जो देश के कानून की सर्वोच्चता की गारंटी दे सके। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका बिना किसी भी पक्षपात या पूर्वाग्रह के सभी व्यक्तियों या संस्थानों के अधिकारों की रक्षा करती है।

ISBN : 978-81-966958-3-5

भारत एक प्राचीन सभ्यता होने के कारण यहां न्याय प्रणाली के हजारों साल पुराने निशान हैं। हालाँकि समाज के विकास के साथ साथ यहाँ कानून और न्याय की अवधारणाएँ बदलती रहीं। भारतीय न्यायपालिका की वर्तमान अवधारणा उस संरचना से काफी मिलती-जुलती है जो ब्रिटिश शासन के तहत बनी थी। और तब से भारत में शासन का पूरा आधार कानून की सर्वोच्चता अर्थात न्यायपालिका की सर्वोच्चता पर आधारित है। इसलिए हर किसी को जो सरकार या सरकारी संस्था के साथ निकटता में काम करता है उसके लिए कानून और न्यायपालिका की उचित समझ होना अनिवार्य है।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय :-

भारतीय न्यायपालिका में केंद्र के साथ-साथ राज्यों के लिए न्यायालयों की एकीकृत प्रणाली है जिसके शीर्ष पर एक सर्वोच्च न्यायालय है और इसलिए इसे एपेक्स या उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट को राज्य के उच्च न्यायालयो द्वारा राज्य स्तर पर कई अधीनस्थ न्यायालयों की सहायता प्रदान की जाती है। जहां सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्य दोनों कानूनों का यानी पूरे देश की न्याय व्यवस्था का संरक्षक है एक उच्च न्यायालय मुख्य रूप से अपने क्षेत्रीय सीमा के भीतर न्याय और अधिकार की रक्षा करने के लिए है।

ISBN : 978-81-966958-3-5

न्यायाधीशों की नियुक्ति :

सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। जहां तक न्यायाधीशों की नियुक्ति का संबंध है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा CJI से परामर्श के बाद की जाती है। साथ ही CJI के पास मामलों के आवंटन और उनकी सुनवाई के लिए बेंच गठित करने का संवैधानिक अधिकार है। जाहिर है भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास निश्चित रूप से कुछ अतिरिक्त विशेषाधिकार हैं लेकिन जहां तक निर्णय के महत्व का संबंध है भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के फैसले में कोई अंतर नहीं है। भारत का संविधान भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की भूमिका को "बराबर के बीच प्रथम" के रूप में परिभाषित करता है।

समीक्षा क्षेत्राधिकार :-

देश का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण होने के नाते, उच्चतम न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय भारत के अन्य सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी हैं। इसके द्वारा पारित आदेश पूरे देश में लागू करने योग्य हैं। हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने निर्णय से बाध्य नहीं है और किसी भी समय इसकी समीक्षा कर सकता है। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेशों की समीक्षा का प्रावधान करता है जिसमें संसद द्वारा

ISBN : 978-81-966958-3-5

बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा सुनाए गए या किए गए किसी भी निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति होगी।

जिसका अर्थ है कि यद्यपि इसके द्वारा सुनाया गया निर्णय अंतिम है फिर भी सर्वोच्च न्यायालय को संविधान द्वारा अधिकृत किया गया है कि वह किसी भी निर्णय की समीक्षा करने के लिए न्यायाधीशों की बड़ी या समान शक्ति वाली पीठ को गठित कर अपने पूर्व निर्णय को बदल सकता है या समीक्षा कर सकता है।

अधिकारों के संरक्षक :

देश का संविधान सर्वोच्च न्यायालय को संघ और एक राज्य के बीच, या एक राज्य और दूसरे राज्य या राज्यों के समूह के बीच के विवाद निपटाने का मूल अधिकार देता है। अर्थात यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है या दो या अधिक राज्य सरकारों के बीच कोई विवाद होता है तो इन सभी कानूनी विवादों पर केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा। इसी तरह कोई भी मामला जिसमें सरकार की कोई कार्रवाई या कानून देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए कोई खतरा पैदा करता है तो ऐसे मामलों की सुनवाई केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी, क्योंकि यह सभी के मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी है। संविधान का अनुच्छेद 32 भारत के नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए किसी भी मौलिक अधिकार

ISBN : 978-81-966958-3-5

के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। इसके अलावा, अगर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही ऐसे मामले का फैसला करता है।

अपील का उच्चतम न्यायालय :

भारत का सर्वोच्च न्यायालय सभी न्यायालयों से अपील का सर्वोच्च न्यायालय भी है। जिसका अर्थ है किउच्चतम न्यायालय के पास उच्च न्यायालयों द्वारा पारित मामलों पर अपील के माध्यम से मामलों की सुनवाई करने की विशेष शक्ति है। इस अधिकार में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों, न्यायाधिकरण या किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को कायम रख सकता है या उलट सकता है। और इसके बाद निर्णय की समीक्षा केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी।\

संवैधानिक मामलों पर सरकार की सलाह :

भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति के कानूनी सलाहकार की जिम्मेदारी भी सौंपी है। इसका मतलब है कि किसी भी अस्पष्टता के मामले में राष्ट्रपति कानून के किसी भी प्रश्न या सार्वजनिक महत्व के तथ्य के बारे में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति की ओर से कार्य करने वाली केंद्र सरकार सार्वजनिक महत्व के मामलों पर सीधे सलाह ले सकती है। हालाँकि यह सलाह या राय

ISBN : 978-81-966958-3-5

सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है और इसे न्यायालय के निर्णय के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है।

किसी न्यायाधीश को हटाना/महाभियोग :

यद्यपि न्यायाधीशों का 62 वर्ष की आयु तक एक निश्चित कार्यकाल होता है एक न्यायाधीश अपने पद से इस्तीफा देकर सीट खाली कर सकता है। किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 124(4) सर्वोच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश को हटाने के लिए दिशा-निर्देशों को सुनिश्चित करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है बशर्ते लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य स्पीकर को या राज्य सभा के न्यूनतम 50 सदस्यों को हस्ताक्षरित नोटिस दे सकते हैं। सभा किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के लिए सभापति को हस्ताक्षरित नोटिस दे सकती है। अध्यक्ष या सभापति विधिक सलाह एवं परामर्श करने के बाद नोटिस से संबंधित प्रासंगिक सामग्री की जांच कर सकते हैं और उसके अनुसार, वह इसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने का निर्णय ले सकता है।

बेशक संविधान न्यायाधीशों को हटाने के लिए एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। और शायद यही कारण है कि स्वतंत्र भारत के 75 वर्षों के इतिहास में संसद द्वारा किसी

ISBN : 978-81-966958-3-5

भी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि न्यायाधीशों को हटाने की एक कठिन प्रक्रिया न्यायपालिका के सदस्यों को पद की सुरक्षा प्रदान करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सभी कार्यवाही अंग्रेजी में आयोजित की जाती है। सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली में स्थित है और कार्यवाही जनता के लिए खुली है।

उच्च न्यायालय :

संविधान प्रत्येक राज्य के लिए मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन, विवादों के निपटारे, दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों पर अपील सुनने के लिए एक उच्च न्यायालय प्रदान करता है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैंजो अपने उच्च न्यायालय को किसी और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा करते है। जैसा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231 संसद को दो या दो से अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति :

प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं जिसमें न्यायधीशों की संख्या का निर्णय प्रत्येक राज्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल को देखते हुए किया जाता है। उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (उस विशेष उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को छोड़कर) और राज्य के राज्यपाल के

ISBN : 978-81-966958-3-5

परामर्श से की जाती है। उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा, या वह इस्तीफा देकर सीट खाली कर सकता है या यदि उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया या राष्ट्रपति द्वारा अन्य उच्च न्यायालय में यदि उसका स्थानांतरण किया जा रहा है तो वह पद छोड़ सकता है। जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार से किसी न्यायाधीश को दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार :

किसी राज्य के उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र उस राज्य की क्षेत्रीय सीमा तक विस्तारित होता है। राज्य का उच्च न्यायालय दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में निचली अदालतों की अपीलों पर सुनवाई कर सकता है। दीवानी पक्ष में, उच्च न्यायालय में अपील या तो पहली अपील या दूसरी अपील है। और आपराधिक अपीलों के लिए यह निम्नलिखित निर्णय को सीधे सुन सकता है, जैसे।

1. एक सत्र न्यायाधीश, या एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने जहां 7 साल से अधिक के कारावास की सजा सुनाई है।

2. कुछ प्रमाणित मामलों में जहां एक सहायक सत्र न्यायाधीश, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने निर्णय सुनाया हो।

ISBN : 978-81-966958-3-5

सर्वोच्च न्यायालय की तरह, एक उच्च न्यायालय भी मौलिक अधिकारों को बहाल करने या लागू करने के लिए और सामान्य कानूनी अधिकारों के मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। इसलिए यह उन व्यक्तियों की पसंद पर निर्भर करता है जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है वह या तो उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है या सीधे सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकता है। इस तरह के रिट के माध्यम से उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या समूह के मौलिक अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उच्च न्यायालय को केन्द्र और राज्य विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित मामलों और राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर राजस्व मामलों से संबंधित विवादो को निपटाने की जिम्मेदारी भी प्रदान की जाती है।

उच्च न्यायालय के पास सशस्त्र बलों के मामले जिन के लिए अलग से न्यायालय की व्यवस्था है को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के अधीक्षण की शक्ति भी है। उच्च न्यायालय भी नियम बनाता है और त्वरित और प्रभावी न्यायिक उपचार के निर्देश के साथ आदेश जारी करता है। इसके पास संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों को अधीनस्थ न्यायालयों से खुद के पास स्थानांतरित करने की शक्ति भी है। संविधान की व्याख्या करने का अर्थ उस तरीके का मार्गदर्शन करना है जिसमें इसके प्रावधानों को लागू किया जाना है।

ISBN : 978-81-966958-3-5

जिला और सत्र न्यायालय :

उच्च न्यायालयों के नीचे प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होता है और स्वाभाविक रूप से उनके पास अपने जिले के भीतर अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। एक जिला न्यायालय का जिले के सभी दीवानी मामलों या गैर-आपराधिक मामलों पर मूल अधिकार क्षेत्र होता है। संपत्ति विवाद, अनुबंध के उल्लंघन और नुकसान और मुआवजे जैसे सभी मामलों की सुनवाई मूल रूप से जिले के जिला न्यायालय द्वारा की जाती है।

वहीं जब जिला अदालत जब आपराधिक मामलों पर आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी/CrPC) के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करती है तो उसे सत्र न्यायालय के रूप में संदर्भित किया जाता है। यानी सत्र न्यायालय आपराधिक जैसे कि हत्या, चोरी, डकैती, जेब काटने और ऐसे ही अन्य मामलों से संबंधित निर्णय के लिए जिम्मेदार है। सत्र न्यायालय के पास मौत की सजा सहित आपराधिक कृत्यों के लिए पूरी तरह से दंड लगाने की शक्ति है।

मूल रूप से, सत्र न्यायालयों की अवधारणा निचले स्तर पर मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए तैयार की गई थी। इसलिए वे सत्रों में लगातार मामलों की सुनवाई करने के लिए प्रतिबद्ध थे, और तर्कों के पूरा होने पर तुरंत निर्णय देते थे। लेकिन बार-बार स्थगन और कागजात के काम में कई खामियों के कारण मामलों का एक बड़ा संचय हो जाता है और त्वरित सुनवाई की अवधारणा वास्तविकता में नहीं हो पाती है।

ISBN : 978-81-966958-3-5

सिविल जज / न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय :

जिला न्यायालयों के तहत, निचली अदालतें हैं जैसे कि अतिरिक्त जिला न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, राजस्व न्यायालय, उपभोक्ता न्यायालय, कारखाना अधिनियम और श्रम कानूनों के लिए विशेष मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालतें, आदि। ये मामलों को तय करने के लिए विशेष अदालतें हैं। विशिष्ट प्रकृति के न्यायलय जैसे कराधान, वित्तीय धोखाधड़ी या कंपनी विवाद न्यायाधिकरण, इन अधीनस्थ न्यायालयों में मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती है। राज्य न्यायिक सेवा से संबंधित सभी व्यक्तियों को नियुक्ति, पदोन्नति और अवकाश देने के मामलों में उच्च न्यायालय जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।

ग्राम न्यायालय :

अधीनस्थ न्यायालयों के नीचे, जमीनी स्तर पर, ग्राम न्यायालय हैं जिन्हें न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत अदालत आदि के रूप में भी जाना जाता है। इन अधीनस्थ न्यायालयों का नाम अलग-अलग राज्यों में भिन्न हो सकता है लेकिन मोटे तौर पर हर राज्य में पदानुक्रम समान रहता है।

ISBN : 978-81-966958-3-5

भारत की संसद का 2008 का ग्राम न्यायालय अधिनियम ग्रामीण लोगों को उनके दरवाजे पर न्याय प्रणाली के लिए त्वरित और आसान पहुंच के लिए ग्राम न्यायालयों या न्याय पंचायतों की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया। ग्राम न्यायालयों की अध्यक्षता एक न्यायाधिकारी द्वारा की जाती है जिसके पास समान शक्ति होगी, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समान वेतन और लाभ प्राप्त होंगे। ऐसे न्यायाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से की जानी है। अधिनियम की पहली और दूसरी अनुसूचियों में निर्दिष्ट अपराधों और वादों की प्रकृति पर ग्राम न्यायालयों के पास दीवानी और आपराधिक दोनों क्षेत्राधिकार हैं। न्यायालयों का आर्थिक क्षेत्राधिकार संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित किया जाता है। दीवानी मुकदमों में ली जाने वाली फीस विवाद में संपत्ति के मूल्य के बावजूद 100 रुपये से अधिक नहीं होगी।

आपराधिक मामलों में ग्राम न्यायालयों के निर्णय के लिए अपील संबंधित क्षेत्राधिकार में सत्र न्यायालय में और दीवानी मामलों में जिला न्यायालय में निर्णय की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर की जा सकती है।

जनहित याचिका क्या है और जनहित याचिका क्यों महत्वपूर्ण है?

समाज कार्य के छात्र होना या कानून का ज्ञान होना दोनों ही आपके लिए महत्वहीन हो जाते है यदि आप इसका उपयोग समाज की भलाई के लिए नहीं कर सकते। जनहित याचिका (PIL) भारत में कानूनी सक्रियता का सबसे बड़ा साधन है। लेकिन वास्तव में एक जनहित

ISBN : 978-81-966958-3-5

याचिका क्या है और यह किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को आपके आस-पास की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए इसे एक उपकरण के रूप में उपयोग करने में कैसे मदद करेगी?

जैसा कि हम जानते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में एक व्यक्ति अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है यदि उसके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है या यदि वह सीधे तौर पर किसी विवाद में शामिल है। लेकिन 1979 में इस अवधारणा में एक बड़ा बदलाव आया। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मामले की सुनवाई की, जिसमें पीड़ित व्यक्तियों द्वारा नहीं बल्कि उनकी ओर से अन्य लोगों द्वारा मामला दायर किया गया था, जो कि जेलों और विचाराधीन कैदियों की अमानवीय स्थितियों पर केंद्रित था। लोकप्रिय रूप से इस मामले को हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979) के रूप में जाना जाता है जिसके कारण 40,000 से अधिक विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया। चूंकि इस मामले में जनहित के मुद्दे पर विचार शामिल था, इसलिए इसे और ऐसे अन्य मामलों को जनहित याचिकाओं के रूप में जाना जाने लगा। लगभग उसी समय, सर्वोच्च न्यायालय ने भी कैदियों के अधिकारों के बारे में मामला उठाया।

भारत में यह एक निर्णय, न्याय पालन हेतु मौजूदा अधिकारों की सुरक्षा, गरीबों के जीवन की स्थिति में सुधार, पर्यावरण की सुरक्षा, और प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, निर्माण जैसे "सार्वजनिक हित" के कई अन्य मुद्दों के लिए न्यायिक हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त करता है। कोई भी मामला जहां बड़े पैमाने पर जनता के हित प्रभावित होते हैं कानून की

ISBN : 978-81-966958-3-5

अदालत में एक जनहित याचिका दायर करके उसका निवारण किया जा सकता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अखबार की रिपोर्ट और कोर्ट को मिली डाक शिकायतों के आधार पर जनहित याचिका पर सुनवाई की है।

अब भारत में कोई भी जन-उत्साही नागरिक या कोई एनजीओ या कोई वकील जरूरतमंद और वंचितों की ओर से याचिका दायर कर सकता है। इस संबंध में न्यायमूर्ति भगवती ने बंधु मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, 1984 के अपने फैसले में बहुत सही बताया कि

‘‘गरीबों की समस्याएं…. गुणात्मक रूप से उन समस्याओं से भिन्न हैं जिन्होंने अब तक न्यायालय का ध्यान खींचा है और उन्हें ....एक अलग तरह के न्यायिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यदि हम उनके मामले में विरोधी प्रक्रिया का आँख बंद करके पालन करते हैं तो वे कभी भी अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने में सक्षम नहीं होंगे’’

भारत के जनहित याचिका कानून में एक और क्रांति तब आयी जब समाचार पत्रो की सूचना पर आधारित विषयों को भी PIL के तहत सुना जाने लगा। यानी अब न्यायलय स्वतः भी किसी मुद्दे जो जनहित से जुड़ा हो, का संज्ञान लेकर उस पर सुनवाई कर सकते है फिर भले है उस की जानकारी उन्हें समाचार के माध्यम से ही क्यों ना मिली हो।

आप भी अपने आस पास किसी भी ऐसे विषय जो कि आम जनता के हित से जुड़ा हो या कोई ऐसा मामला, जिस में किसी वर्ग विशेष के अधिकारों का हनन सीधे तौर पर दिखाई पड़ता हो को लेकर न्यायलय में याचिका लगा सकते है।

ISBN : 978-81-966958-3-5

सारांश

भारत में शासन व्यवस्था के तीन अंग हैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम देश में कानून की सर्वोच्चता और विधि का शासन स्थापित करना हैं। यह स्थापित करना कि देश में कानून से बड़ा कुछ भी नहीं हैं न तो व्यक्ति और न ही कोई व्यवस्था। न्यायपालिका को कानून की समीक्षा का भी अधिकार हैं। निरोध और संतुलन के सिद्धांत के अनुसार भारत में शासन के यह तीनों अंग प्रत्यक्ष रूप से अपना-अपना काम करते हुए एक दूसरे पर अप्रत्यक्ष रूप से अंकुश भी रखते हैं। यही भारतीय प्रजातंत्र की खूबसूरती हैं। भारत में न्याय के मंदिर अर्थात न्यायलय अनेक स्तरों और अनेक प्रकृति के हैं। इस ईकाई में हमने भारतीय न्याय व्यवस्था की सैद्धांतिक संरचनात्मक और व्यवाहरिक पहलुओं का अध्ययन किया हैं। जो हमारे काम भी आएंगे और अनावश्यक किसी मुसीबत में पड़ गये व्यक्ति के मार्गदर्शन करने में आपके लिए सूचनाशस्त्र का काम करेंगे।

अवधारणात्मक शब्दों का अर्थ **(Meaning of Conceptual terms)**

- **महाअभियोग** : जब किसी न्यायधीश को पद से हटाना हो तो उसे हटाये जाने की प्रक्रिया महाअभियोग कहलाती हैं।
- **कालेजियम** : भारत में न्याय व्यवस्था के अंतर्गत निचले स्तर से उच्च स्तरों पर न्यायधीशों के जाने की संपूर्ण प्रक्रिया कालेजियम प्रणाली के अंतर्गत संचालित की जाती हैं।

स्व-मूल्यांकन **(Self-Assesment)**

- **दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (**Long answer type questions)

1- भारत की न्यायपालिका का परिचयात्मक आलेख लिखिए।
2- समाज में निष्पक्ष न्यायतंत्र स्थापित करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका हैं?
3- भारत में कितने प्रकार के न्यायलय हैं?

ISBN : 978-81-966958-3-5

4- ग्राम न्यायलय की अवधारणा पर प्रकाश डालिये।

5- जनहित याचिका किसे कहते हैं?

- **लघु उत्तरीय प्रश्न** (Short answer type questions)

1. संविधान की समीक्षा का अधिकार किसे हैं?
2. संविधान पीठ क्या हैं?
3. रिट किसे कहते हैं?
4. बेल क्या हैं?
5. ग्राम न्यायलय के प्रमुख लाभ क्या हैं?

- **अति लघुउत्तरीय / वस्तुनिष्ठ प्रश्न** (Very short/ Objective type questions)

1. भारत के न्यायतंत्र में सबसे बड़ा न्यायलय कौन–सा हैं?
2. भारत के मुख्य न्यायधीश कौन हैं?
3. भारत के मुख्य न्यायधीश की न्यूक्ति कौन करता हैं?
4. भारतीय न्याय व्यवस्था में क्षमादान का अधिकार किसे हैं?
5. भारत के मुख्य न्यायधीश का कार्यकाल किनते वर्ष का होता हैं?

प्रदत्त कार्य **(Assignment)**

1. जजों की नियुक्ति के बारे में कॉलेजियम प्रणाली के बारे में एक विस्तृत नोट तैयार करें।
2. पता लगाएं कि कितने राज्य अपने उच्च न्यायालय को अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा करते हैं।
3. पता लगाएं कि भारतीय संसद में कितने न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के लिए प्रस्ताव पेश किए गए हैं।
4. सीआरपीसी (CrPC) और CPC के बीच अंतर बताते हुए एक संक्षिप्त नोट तैयार करें।
5. पता करें कि आपकी ग्राम पंचायत (या आपके पास की ग्राम पंचायत) में ग्राम न्यायालय है या नहीं। अगर नहीं, तो जानिए क्यों।
6. कुछ जनहित याचिकाओं के 3 महत्वपूर्ण निर्णय परिणामों का एक विस्तृत नोट बनाएं और उदाहरण के साथ किन्हीं 3 सामाजिक मुद्दों की व्याख्या करें जो जनहित के मानदंडों के अनुरूप है।

ISBN : 978-81-966958-3-5

संदर्भ **(References)**

- भारत का संविधान - सुभाष कश्यप, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली
- भारत की राजव्यवस्था - एम लक्ष्मीकांत, टाटा मेग्रा हिल, नई दिल्ली
- भारत का संविधान - डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, बुद्धा पब्लिशर्स, जयपुर
- भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था - डॉ. अल्पना पारीक, राजस्थान ग्रन्थ अकादमी
- भारत का संविधान : एक परिचय - डॉ. दुर्गा दास बसु, लेक्सिस नेक्सिस पब्लिकेशन

ISBN : 978-81-966958-3-5

इकाई 3 **आपराधिक न्याय प्रणाली**

उद्देश्य:-

- इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप इससे अवगत होंगे-
- पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और पदानुक्रम से
- आपके शहर/समाज में पुलिस की भूमिका और कर्तव्य
- लोक अभियोजक की भूमिका और आपराधिक न्याय प्रणाली में उनकी आवश्यकता क्यों है
- अदालत या जेल में अभियुक्त और कैदी के अधिकार
- न्याय प्रदान करने में न्यायालयों और मजिस्ट्रेटों की भूमिका
- भारत की कारागार प्रणाली और उनका वर्गीकरण

आपराधिक न्याय प्रणाली का तात्पर्य सरकार की उन एजेंसियों से है जो कानून लागू करने में यानी पुलिस और ऐसी ही अन्य एजेंसियां, व आपराधिक मामलों पर निर्णय देने वाले न्यायलय जिनके बारे में आप ने पिछले अध्याय में पढ़ा, और आपराधिक आचरण में सुधार हेतु कार्यरत कारावास प्रणाली भी शामिल है। अर्थात हम कह सकते है कि भारत आपराधिक न्याय प्रणाली न्यायलय, पुलिस और जेल इन तीनों एजेंसियों से मिल कर बना है।

पुलिस विभाग :

अपराधियों के मन में क़ानून का भय पैदा करने के लिए एक समर्पित बल की सभ्य समाज की प्राथमिक आवश्यकता है। और भारत में जहां न्यायपालिका की अवधारणा की तरह,

ISBN : 978-81-966958-3-5

ग्राम पंचायत और मंत्रिपरिषद अनादि काल से मौजूद थे। अपराध की रोकथाम और जांच के लिए समर्पित बल की अवधारणा भी हजारों वर्षों से मौजूद थी। पुलिस व्यवस्था के निशान चंद्रगुप्त और अशोक के शासन काल से मौजूद है। मौर्य काल के लिखित साक्ष्य, विशेष रूप से चाणक्य के अर्थशास्त्र में, दीवानी और आपराधिक न्याय प्रणाली की, एक अच्छी तरह से डिजाइन और विकसित तंत्र के बारे में बात की गई है। राजा और मंत्रियों के लिए आचरण के नियम स्थापित करने के अलावा, अर्थशास्त्र एक पुलिस अधिकारी या प्रदेषिका के निर्धारित आचरण के लिए; एक निर्धारित प्रक्रिया भी बताता है।

पुलिस बल/विभाग की संरचना:-

हालाँकि वर्तमान न्यायपालिका, संसद और कई अन्य व्यवस्थओं की तरह ही पुलिस विभाग की वर्तमान व्यवस्था भी ब्रिटिश भारत उत्पाद है। पुलिस शब्द लैटिन शब्द 'पोलिटिया' से लिया गया है जिसका अर्थ है किसी राज्य में कानून और व्यवस्था का नियमन। 1861 का पुलिस अधिनियम, पुलिस को अपराध की रोकथाम और अपराध कि जांच के लिए एक कुशल साधन के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 'पुलिस' सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में आती है। जो स्वाभाविक रूप से संबंधित राज्य सरकारों को अपने राज्य में पुलिस बल को विनियमित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। हालाँकि केंद्र सरकार पुलिस विभाग के शीर्ष के संवर्गों भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों की भर्ती, प्रशिक्षण और प्रबंधन द्वारा राज्य की पुलिस सेवा को अप्रत्यक्ष रूप नियंत्रित करती है। यानी IPS अधिकारियों के माध्यम से केंद्र

ISBN : 978-81-966958-3-5

सरकार भी राज्य पुलिस में सीमित लेकिन मजबूत हस्तक्षेप रखती है। यही कारण है कि सभी राज्यों में पुलिस बल की संरचना, कार्यप्रणाली और सिद्धांत कमोवेश एक जैसे हैं।

हर राज्य का पुलिस बल राज्य के गृह विभाग के दायरे में आता है और इसलिए राज्य के गृह मंत्री गृह विभाग के प्रधान सचिव, जो एक आईएएस (IAS) अधिकारी होते हैं के माध्यम से पुलिस विभाग पर अपने नियंत्रण का प्रयोग करते हैं। राज्य पुलिस विभाग का प्रत्यक्ष प्रमुख पुलिस महानिदेशक (DGP) होता है जो एक IPS अधिकारी होता है और पुलिस बल के प्रशासन के लिए राज्य सरकार या राज्य के गृह विभाग के प्रति जवाबदेह होता है।

प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रत्येक राज्य को कुछ ज़ोन, रेंज और जिलों में विभाजित किया जाता है जहां एक महानिरीक्षक या IG एक ज़ोन का प्रभारी होता है और दो या दो से अधिक रेंज का प्रशासन करता है। प्रत्येक रेंज का नेतृत्व पुलिस उप महानिरीक्षक यानी DIG स्तर का एक अधिकारी करता है। इसी तरह पुलिस अधीक्षक (SP) रैंक का एक अधिकारी जिला पुलिस बल का प्रमुख होता है। इसके बाद जिले में पुलिस प्रशासन की मूल इकाई आती है जिसे पुलिस स्टेशन कहा जाता है। जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता में कहा गया है किकानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी तरह की निवारक तथा जांच कार्रवाई शुरू करने के लिए एक पुलिस स्टेशन बुनियादी इकाई होगी,यह अपने क्षेत्र में किए गए अपराध की प्रथम सूचना दर्ज करने वाला केंद्र भी यही होगा। आम तौर पर एक पुलिस निरीक्षक एक पुलिस

ISBN : 978-81-966958-3-5

स्टेशन का प्रभारी होता है जिसे अक्सर टीआई (नगर निरीक्षक) के रूप में जाना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे पुलिस स्टेशनों में, एक उप-निरीक्षक भी प्रभारी हो सकता है।

पुलिस की भूमिका और कर्तव्य :

राज्य पुलिस विभाग 1861 के पुलिस अधिनियम के माध्यम से समाज के प्रति कुछ भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के लिए प्रतिबद्ध है जो इस प्रकार हैं: -

- अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था को बढ़ावा देना और बनाए रखना।
- अपराधों का पंजीकरण और जांच और कानून की आवश्यकता होने पर अपराधियों को गिरफ्तार करना।
- बाद की कानूनी कार्यवाही में भाग लेना और सहयोग करना जो पीड़ित को न्याय की ओर ले जाती है।
- उन स्थितियों की पहचान करना जिनके परिणामस्वरूप अपराध होने की संभावना है और इसे समय पर रोकने का प्रयास करना।

अतः हम के सकते है कि पुलिस की भूमिका उस बिंदु से शुरू होती है जहां अपराध अभी तक हुए भी नहीं है। क्योंकि अपराध की रोकथाम भी उनका प्राथमिक कर्तव्य है। फिर भी यदि अपराध हो चुका है और स्थानीय पुलिस स्टेशन के संज्ञान में लाया गया है तो यह उनका कर्तव्य है कि अपराध का उचित पंजीकरण करे, जिसे आम तौर पर प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) भी कहा जाता है। एक बार प्राथमिकी दर्ज होने के बाद एक पुलिस अधिकारी

ISBN : 978-81-966958-3-5

अब मामले की जांच कर सकता है। जांच के दौरान साक्ष्यों का संग्रह, गवाहों के बयान दर्ज करना, दस्तावेजों की जब्ती और अपराध स्थल को निरीक्षण करना शामिल होता है। एक बार जांच खत्म होने के बाद जांच अधिकारी अपराध की चार्जशीट दाखिल करता है। इस चार्टशीट में जांच अधिकारी अपनी समझ के अनुरूप बताता है कि कैसे यह अपराध किया गया था, किसके द्वारा किया गया था और कानून के किस प्रावधान के तहत इसे कवर किया गया है।

चार्जशीट के आधार पर मामला संबंधित कोर्ट में ट्रायल के लिए आता है। और अदालत मामले को देखती है जहां जांच और सबूत के आधार पर आरोपी को या तो दोषी ठहराया जा सकता है या उसे पूरी तरह से अदालत के फैसले के आधार पर दोषमुक्त किया जा सकता है। चाहे दोषी हो या न हो, प्रत्येक आरोपी को स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई का संवैधानिक अधिकार है।

लोक अभियोजक और परीक्षण :

लेकिन भारत का संविधान किसी व्यक्ति के स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षण के अधिकार को कैसे सुनिश्चित करता है? क्या होगा अगर उसके पास वकील रखने के लिए पैसे नहीं हैं? लोक अभियोजक की भूमिका क्या है?

सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि किसी भी आपराधिक मामले को समाज के खिलाफ अपराध माना जाता है न कि किसी व्यक्ति के खिलाफ। यानी सरकार का यह

ISBN : 978-81-966958-3-5

कर्तव्य है कि वह पीड़ित पक्ष के मामले को अदालत में पेश करे, बशर्ते कि पीड़ित खुद किसी निजी वकील के जरिए अपना केस खुद लड़ना चाहता हो। सरकारी वकील जो सरकार के पक्ष का या हम कह सकते हैं कि पीड़ित पक्ष प्रतिनिधित्व करता है को लोक अभियोजक कहा जाता है। और यही कारण है कि ऐसे सभी मामलों को राज्य (राज्य सरकार) बनाम आरोपी कहा जाता है।

क्या आरोपी को भी स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है? सिस्टम कैसे एक आरोपी के अधिकारों को सुनिश्चित करता है? क्या होगा यदि आरोपी अपने लिए वकील रखने में असमर्थ है?

भारत के संविधान का अनुच्छेद 22 अभियुक्त यानी आरोपी को भी वकील का अधिकार प्रदान करता है। अभियुक्त के पास भी वकील द्वारा अपने बचाव का अधिकार है। और सार्वजनिक कानूनी सहायता की यह सेवा राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (SALSA) के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसलिए अदालतें पीड़ित और आरोपी दोनों के लिए दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में कानूनी सहायता के लिए वकीलों की नियुक्ति करती हैं। अदालत का एक अधिकारी होने के नाते, लोक अभियोजक का कर्तव्य है कि वह मामले को अदालत में इस तरह पेश करे कि वह सभी भौतिक साक्ष्य और गवाहों को न्यायाधीश के सामने लाए। जिससे न्यायालय को निष्पक्ष निर्णय लेने में सुविधा हो।

ISBN : 978-81-966958-3-5

न्यायालय की भूमिका :

लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के महत्व के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। भारत का संविधान न्यायालय की संस्था को आपराधिक न्याय प्रणाली के प्राथमिक स्तंभ के रूप में वर्णित करता है। अदालत की संस्था यह सुनिश्चित करती है कि सभी पीड़ित लोगों को एक निष्पक्ष सुनवाई मिले जैसा कि कानून एक खुली अदालत में प्रदान करता है। इसलिए अदालत का प्राथमिक कर्तव्य किसी भी मामले पर मुकदमा चलाते समय कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करता है। अदालत का यह भी कर्तव्य है कि वह अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों को अपने मामले को निष्पक्ष सुनवाई के लिए अवसर प्रदान करे। निष्पक्ष सुनवाई के बाद ही,न्यायलय या तो सबूतों के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाता है या फिर दोषमुक्त कर देता है। खास बात यह भी है जिन लोगो को ताउम्र या मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है उनको यह भी अधिकार होता है कि वह राष्ट्रपति के यहां क्षमा याचिका लगा सकते हैं जिसके बाद राष्ट्रपति चाहे तो उस की सजा कम या माफ कर सकते है या न्यायलय के फैसले को बरकरार रख सकते है।

‘‘न्याय में देरी , न्याय से वंचित रखना है।"

आप सभी ने यह कहावत तो सुनी ही होगी जो वास्तव में कहती है कि अगर सीमित समय में न्याय नहीं मिलता है तो यह अन्याय से कम नहीं है। और यही भारतीय न्याय प्रणाली की सबसे बड़ी विफलता रही है। विचाराधीन मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने में अदालतों की विफलता के कारण भारतीय अदालतों में लंबित मामलों का एक बड़ा ढेर

ISBN : 978-81-966958-3-5

पड़ा हुआ है। हालाँकि त्वरित न्याय के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में व्याख्यायित किया गया है। फिर भी कई कारणों के चलते जैसे कि न्यायाधीशों की कमी, जटिल कागजी कार्यवाही, जांच एजेंसियों तरफ से देरी के कारण ढेर सारे मामले लंबित है जिससे भारतीय न्याय प्रणाली दिन ब दिन बोझिल होती जा रही है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड और सुप्रीम कोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, 2020 के अंत तक जिला और अधीनस्थ अदालतों में 3.9 करोड़ मामले, विभिन्न उच्च न्यायालयों में 58.5 लाख मामले और सुप्रीम कोर्ट में 69,000 से अधिक मामले लंबित थे।

भारत की जेल प्रणाली :

अदालत से दोषसिद्धि के बाद कोई व्यक्ति अब आरोपी नहीं रहा, अब उसे देश के कानून के अनुसार दोषी करार दिया गया है। उसके द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता के आधार पर अदालत उसे जुर्माना और संपत्ति की जब्ती या साधारण कारावास या कठोर कारावास (श्रम के साथ कारावास) या आजीवन कारावास या मृत्युदंड (मृत्यु की सजा) की सजा दे सकती है। सभी दोषियों को जिन्हें कारावास या मृत्युदंड की सजा दी जाती है (जब तक उनकी मृत्युदंड देय है) जेल या कारावास भेज दिया जाता है। जेल एक ऐसा स्थान है जो मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे या दोषी करार हुए व्यक्तियों की कारावास के दौरान सुरक्षित हिरासत के लिए प्रतिबद्ध संस्था हैं। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के तहत जेल और उनका प्रशासन राज्य का विषय होने के नाते जेल प्रशासन संबंधित राज्य सरकार

ISBN : 978-81-966958-3-5

की जिम्मेदारी है। इसका मतलब है कि राज्य सरकार के पास अपने क्षेत्र में जेल के प्रबंधन और प्रशासन के लिए विशेष शक्ति है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से इस बात पर प्रकाश डाला कि एक कैदी के पास भी मौलिक अधिकार हैं और इसलिए उसके साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि उसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 कैदियों को भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता के अधिकार की गारंटी देता है। इसलिए यह किसी भी कैदी के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव या अमानवीय, क्रूर और अपमानजनक व्यवहार को प्रतिबंधित करता है चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी। और किसी कैदी या बंदियों के अधिकार के किसी भी उल्लंघन को मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। कैदियों के सभी अधिकार कारागार अधिनियम, 1894 के अंतर्गत आते हैं। विभिन्न निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने जेल प्रशासन से संबंधित कई नियमों की व्याख्या की है। कुछ नियम इस प्रकार हैं:

- प्रत्येक व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति जेल में रहता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति अब मनुष्य नहीं रहा। इसलिए उस के साथ किसी भी तरह से अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता है।
- यहां तक कि एक अपराधी भी सभी प्रकार के मानवाधिकारों का हकदार है जैसे उचित स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा सुविधा और कानूनी सहायता का अधिकार।

ISBN : 978-81-966958-3-5

इसलिए उसे भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए किसी भी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

- एक व्यक्ति जो पहले से ही कारावास के माध्यम से, अपने किए गए अपराध के लिए सजा भुगत रहा है उसे कोई अन्य पीड़ा नहीं दी जा सकती।

भारत में जेलों के प्रकार :

भारत में जेल के तीन स्तर हैं जैसे तालुका स्तर, जिला स्तर और केंद्रीय स्तर (कभी-कभी इसे जोनल / रेंज स्तर के रूप में भी जाना जाता है)। इन जेलों को क्रमशः उप जेल, जिला जेल और केंद्रीय जेल के रूप में जाना जाता है। सभी विभिन्न प्रकार की जेलों में अंतर मूल रूप से उनमें कैदियों की रख सकने की क्षमता और बुनियादी ढांचे में सुविधा, सुरक्षा, चिकित्सा सुविधाओं, शैक्षिक और पुनर्वास सुविधाओं का है। उप-जेल की तुलना में केंद्रीय जेल में सुविधाएं अपेक्षाकृत बेहतर हैं। दिसंबर 2019 के अंत तक भारत में 1350 से अधिक जेलें थीं, जिनमें 3 लाख से अधिक कैदी रह सकते हैं। सबसे ज्यादा जेल राजस्थान (144) में दर्ज की गईं, उसके बाद तमिलनाडु (141), फिर मध्य प्रदेश (131), उस के बाद आंध्र प्रदेश (106), फिर कर्नाटक (104) और छटे नंबर पर ओडिशा (91) रहा। 31 दिसंबर, 2019 तक ये छह (6) राज्य मिलकर देश की कुल जेलों का 53.11% कवर करते हैं। दिल्ली में केंद्रीय जेलों की संख्या सबसे अधिक (14) है। जबकि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, अंडमान और निकोबार द्वीप, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप जैसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 31 दिसंबर, 2019 तक कोई केंद्रीय जेल नहीं है।*

ISBN : 978-81-966958-3-5

*(डेटा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है)

सेंट्रल जेल/ केंद्रीय जेल :

केंद्रीय जेलों में आम तौर पर जिन कैदियों को आजीवन कारावास की लंबी अवधि के लिए सजा सुनाई जाती है उन्हें रखा जाता है। चूंकि ये जेलें आजीवन कारावास और लंबी कारावास के दोषियों के लिए बनाई गई हैं स्वाभाविक रूप से कैदी वे लोग हैं जो जघन्य अपराध करते हैं। इसलिए केंद्रीय जेल प्रशासन अपने विभिन्न प्रयासों के माध्यम से इन कैदियों में नैतिकता और ईमानदारी को फिर से स्थापित करने का प्रयास करता है। सेंट्रल जेल का कैदी जेल के अंदर कुछ श्रम करके मजदूरी कमा सकता है। सेंट्रल जेल का इंफ्रास्ट्रक्चर उप जेल की तुलना में अधिक कैदियों को समायोजित कर सकता है। आज उपयोग में आने वाली कई केंद्रीय जेलें ब्रिटिश काल के दौरान बनाई गई थीं और महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू जैसे कई महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को इन्हीं में रखा गया था। और यही कारण है कि कई केंद्रीय जेलों का ऐतिहासिक महत्व भी है। हमारे देश में 165,750 कैदियों की क्षमता वाली कुल 144 केंद्रीय जेल हैं।

जिला जेल :

जिला जेलें में भी केंद्रीय जेलों की ही तरह बड़े बुनियादी ढांचे होते हैं। भारत में 147,003 कैदियों की क्षमता वाली कुल 410 जिला जेल हैं। और उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जहां कोई केंद्रीय जेल नहीं है जिला जेल राज्य के प्राथमिक कारावास केंद्र के रूप में

ISBN : 978-81-966958-3-5

कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिला जेल हैं यानी 57 जिला जेल, जबकि जम्मू कश्मीर और नागालैंड प्रत्येक में 10-10 जिला जेले हैं।

उप जेल :

भारत में ये उप जेल ही सब डिविजनल जेलों की भूमिका निभाते हैं। ये जेल राज्य के अनुमंडल स्तर पर स्थित छोटे संस्थान हैं। कम क़ैदियों की क्षमता के कारण इन जेलों में क़ैदियों के लिए बेहतर व्यवस्था होती है। 7 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें कोई उप जेल नहीं है। इन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के नाम अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, चंडीगढ़ और दिल्ली हैं।

खुली जेल :

खुली जेलें न्यूनतम सुरक्षा वाली जेल हैं जो कि उन कैदियों के पुनर्वास के लिए हैं जिन्होंने अपनी सजा लगभग पूरी कर ली है। जिन कैदियों ने अपने निर्धारित कारावास में जेल के नियमों का पालन करते हुए अच्छा व्यवहार का पालन किया, उन्हें अच्छे मूल्यांकन के आधार पर बाहर के खुले माहौल में पुनर्वास की दृष्टि से कमाई के लिए काम पर भेजा जाता है। यहां कैदी साधारण व्यावसायिक गतिविधियों में लगाया जाता है जिससे वह रिहा होने से पहले कुछ पैसे कमाने के साथ-साथ बाहरी दुनिया का अनुभव भी के सके।

ISBN : 978-81-966958-3-5

प्रत्येक राज्य में एक अलग जेल कानून है और राज्य विधानसभा द्वारा पारित एक अलग अधिनियम के माध्यम से दिसंबर 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को जेल सुधारों के तहत और अधिक खुली जेल स्थापित करने का निर्देश दिया है। राजस्थान में सबसे ज्यादा खुली जेल है। जहां हत्या, चोरी और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में सजा काट रहे अपराधी अकाउंटेंट, स्कूल टीचर, गार्ड और घरेलू सहायिका के तौर पर काम कर रहे हैं. खुली जेल गंभीर अपराधों के दोषियों के लिए भी ईमानदारी से पुनर्वास को बढ़ावा देती है।

विशेष जेल :

विशेष जेल अधिकतम सुरक्षित जेल हैं और ब्रिटिश काल से ही भारत में विशेष जेलों का प्रावधान किया गया है। इन जेलों में उच्च एवं कड़ी सुरक्षा के लिए आवश्यक कैदियों को रखा जाता है। विशेष जेलों में आमतौर पर एकान्त कारावास कक्ष होते हैं जहाँ गंभीर अपराधों के अपराधियों को अलग रखा जाता है। विशेष जेलों में बंद कैदी आमतौर पर वे होते हैं जो आतंकवाद, हिंसक अपराधों या आदतन अपराधों के लिए आरोपी या दोषी ठहराए जाते हैं। आपको याद होगा 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के मुख्य अपराधी अजमल कसाब को पुणे के येरावडा की विशेष जेल में रखा गया था और बाद में वहीं फांसी भी दी गई। भारतीय बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को भी उसी विशेष जेल में रखा गया था, हालांकि उन्हें किसी भी हिंसक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया था, लेकिन उनकी सजा के दौरान उन्हें उच्च सुरक्षा और निगरानी की आवश्यकता थी, इसलिए उन्हें पुणे की विशेष

ISBN : 978-81-966958-3-5

जेल में रखा गया था। कभी-कभी जेल के अनुशासन का उल्लंघन करने वाले या अन्य कैदियों के लिए खतरा बनने वाले कैदियों को भी दंडित करने और जेल के अनुशासन को बहाल करने हेतु कम अवधि के लिए स्पेशल जेल के एकांत कारावास में भेज दिया जाता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 7,262 कैदियों की क्षमता वाली 41 विशेष जेल हैं। केरल में सबसे अधिक विशेष जेल हैंजो कि 16 हैं। विशेष जेल में महिला कैदियों को रखने से संबंधित प्रावधान तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, असम, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में उपलब्ध हैं।

महिला जेल :

जैसा कि नाम से पता चलता है महिला जेल महिला कैदियों के लिए विशेष जेल हैं। प्रशासन के लिहाज से या सुविधाओं के लिहाज से ये जेल जिला स्तर की अन्य जेलों से काफी मिलती-जुलती हैं फिर भी महिला कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। कभी-कभी बच्चों वाली महिलाओं को अपने बच्चों को इन जेलों में रखने की अनुमति दी जाती है। और इसलिए इन बच्चों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किए बिना उन्हें समायोजित करने के लिए विशेष प्रावधान इन जेलों में होते हैं। इन जेलों में ज्यादातर महिला स्टाफ को रखा जाता है। ये जेल उपमंडल, जिला और केंद्रीय स्तर पर मौजूद हैं।

ISBN : 978-81-966958-3-5

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में कुल 31 महिला जेलें हैं। भारत में केवल 15 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 6,511 की कुल क्षमता वाली महिला जेल हैं। दिसंबर 2019 में राजस्थान में महिला जेलों की संख्या सबसे अधिक है जो 1048 कैदियों की क्षमता के साथ 7 है इसके बाद तमिलनाडु में 5 महिला जेल हैं।

बोरस्टल स्कूल :

जब किसी किशोर (कुछ विशेष मामलों में 18 या 16 वर्ष से कम) को कानून का उल्लंघन करते हुए या किसी जघन्य अपराध में शामिल पाया जाता है तो उसे निरोध केंद्रों में निगरानी में रखने की आवश्यकता होती है जिसे बोरस्टल स्कूल भी कहा जाता है। किशोर अपराधियों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए ये निरोध केंद्र पुनर्वास स्कूलों की तरह चलाए जाते हैं और बंदियों के लिए भौतिक और नैतिक शिक्षा की व्यवस्था से लैस होते हैं। चूंकि अधिकांश बंदी आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से होते हैं इसलिए उन्हें आने वाले भविष्य के रोजगार को सुरक्षित करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

हमारे देश में कुल 19 बोरस्टल स्कूल हैं। तमिलनाडु में बोरस्टल स्कूल में कैदियों को रखने की क्षमता सबसे अधिक है। हिमाचल प्रदेश और केरल ही ऐसे राज्य हैं जो अपने 2 बोरस्टल स्कूलों में महिला कैदियों को भी रख सकते हैं। 2015 के अंत तक उत्तर प्रदेश या भारत के किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में कोई बोरस्टल स्कूल नहीं थे।

ISBN : 978-81-966958-3-5

जेलों की कार्यप्रणाली में सुधार :

भारत की जेल प्रणाली में कैदियों को उनकी सजा के दौरान पुनर्वास करने का प्रावधान है। और स्वतन्त्र भारत के संस्थापकों ने पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली, विशेष रूप से जेल प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि उनमें से लगभग सभी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल में समय बिताया था। फिर भी वर्तमान जेल प्रशासन को कई सुधारों की आवश्यकता है। वास्तव में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में जेल प्रशासन के कई मुद्दों पर प्रकाश डाला है। जैसे कि उचित स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा सुविधाओं की कमी, भीड़भाड़, कैदियों के लिए उचित सुविधाओं के प्रावधान के साथ-साथ मुफ्त कानूनी सहायता जो कि संविधान में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई है कि अनदेखी की जा रही है।

सारांश

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली पुलिस, अदालतों और जेलों से बनी है। और केवल तीनों एजेंसियों के उचित कार्य के माध्यम से एक आम नागरिक, एक आरोपी या पीड़ित के संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपको इन एजेंसियों की भूमिकाओं और कर्तव्यों और उन लोगों के अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, जो इनमें से किसी भी एजेंसी से सीधे तौर पर काम कर रहे हैं। इसलिए कानून का पालन न करने या अधिकारों के उल्लंघन के मामले में आप निवारण के लिए सही एजेंसी तक पहुंच सकते हैं।

ISBN : 978-81-966958-3-5

अवधारणात्मक शब्दों का अर्थ **(Meaning of Conceptual terms)**

- **लोक अभियोजन** : किसी भी आरोपी को न्याय तंत्र में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए व्यवस्था और प्राधिकार प्रदान करने की व्यवस्था हैं।
- **जेल** : एकाकी रहकर आत्म मंथन से परिष्कार की व्यवस्था।

स्व–मूल्यांकन **(Self-Assesment)**

- **दीर्घ उत्तरीय प्रश्न** (Long answer type questions)

1. पुलिस विभाग की संरचना और कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालिये।
2. पुलिस की भूमिका और कर्तव्य क्या होते हैं?
3. पुलिस और न्यायलय के बीच के संबंधों की व्याख्या कीजिए।
4. भारत की जेल प्रणाली का वर्णन कीजिए।
5. भारत में जेलों के प्रमुख प्रकार लिखिए।

- **लघु उत्तरीय प्रश्न** (Short answer type questions)

1. एफ.आई.आर. से क्या समझते हैं?
2. खुली जेल क्या हैं?
3. पुलिस व्यवस्था में महिलाओं के लिए क्या विशेष प्रावाधान हैं?
4. पुलिस व्यवस्था में बच्चों के लिए क्या विशेष प्रावाधान हैं?
5. मारल पुलिसिंग क्या हैं?

- **अति लघुउत्तरीय / वस्तुनिष्ठ प्रश्न** (Very short/ Objective type questions)

1. जिले में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता हैं?
2. धारा 144 क्या हैं?
3. कफ्र्यू को समझाइये।
4. नजरबंदी क्या हैं?
5. पुलिस की वर्दी में सितारे क्या दर्शाते हैं?

ISBN : 978-81-966958-3-5

प्रदत्त कार्य **(Assignment)**

1. अपने क्षेत्र के पुलिस प्रशासन के लिए जिम्मेदार क्रमशः DGP, IG, DIG, SP और TI की एक सूची तैयार करें।
2. अपने इलाके में किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें, जिसका मामला अदालत में लंबित है और मुकदमे के दौरान उसके सामने आई कठिनाइयों की एक सूची बनाएं।
3. भारत में आईपीसी में केवल 8 अपराध हैं जिनके लिए मौत की सजा दी जा सकती है। उन अपराधों की सूची बनाएं।
4. क्या होगा यदि किसी कैदी के कारावास के दौरान उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है ; कौन सी अदालत या अदालतें उनके मामले पर विचार कर सकती हैं।
5. पता लगाएं कि आपके राज्य में कितनी जेलें हैं और कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां एक भी केंद्रीय जेल नहीं है।
6. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 भारत की संसद द्वारा पारित किया गया है जो कहता है कि कुछ विशेष मामलों में 16 साल के आरोपी को भी एक वयस्क समझ कर मुकदमा चलाया जा सकता है। अपना शोध करें और कुछ मिसाल/उदाहरण के साथ इन विशेष मामले को परिभाषित करें।

संदर्भ **(References)**

1. भारत का संविधान – सुभाष कश्यप, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली
2. भारत की राजव्यवस्था – एम लक्ष्मीकांत, टाटा मेग्रा हिल, नई दिल्ली
3. भारत का संविधान – डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, बुद्धा पब्लिशर्स, जयपुर
4. भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था – डॉ. अल्पना पारीक, राजस्थान ग्रन्थ अकादमी
5. भारत का संविधान : एक परिचय – डॉ. दुर्गा दास बसु, लेक्सिस नेक्सिस पब्लिकेशन

ISBN : 978-81-966958-3-5

इकाई 4 **न्यायिक कार्यवाही में कानूनी अधिकार**

उद्देश्य:-

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप आरोपी, पीड़ित और गवाह से सम्बंधित निम्नलिखित कानूनी अधिकारों को जानेंगे: -

- पुलिस और न्यायिक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त के कानूनी और संवैधानिक अधिकार।
- विचाराधीन कैदी की जमानत और पैरोल के अधिकार।
- एक पीड़ित और पूरे समाज पर अपराध का प्रभाव।
- पीड़ित के मुआवजे और सुरक्षा से संबंधित नियम।
- गवाह के लिए सुरक्षा से संबंधित नियम।

पहले अध्याय में हमने सभी भारतीयों और हर मानव को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा। पिछले अध्यायों में हम ने यह भी जाना की मौलिक अधिकार उन लोगो को भी प्राप्त है जो किसी कानूनी मामले में आरोपी है या किसी अपराध कि सजा काट रहे है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि किसी भी तरह की अनुचित कानूनी कार्यवाही के खिलाफ हमारे पास क्या क्या अधिकार है।

एक अभियुक्त के अधिकार :

पहले अध्याय में आपने संविधान द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को दिए गए जिन मौलिक अधिकारों के बारे में जाना वह समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवीय

ISBN : 978-81-966958-3-5

गरिमा के साथ जीवन जीने की बात करते हैं। जिसका अर्थ है कि भारत के प्रत्येक नागरिक के साथ कानून के समक्ष समान व्यवहार किया जाएगा और उसके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जायेगा। भले ही वह किसी गंभीर अपराध का आरोपी हो या दोषी हो। ठीक वैसा ही जैसा आपने पिछले अध्याय में कारागारों के बारे में पढ़ा था, जहां एक व्यक्ति को भी, जिसे जेल में रहने की सजा दी गई है उसे भी अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। जैसा कि अनुच्छेद 22 के खंड 1 और 2 कहते है:-

(1) गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को, गिरफ्तार किए जाने के कारणों को बताए बिना, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और उस व्यक्ति को अपनी सफाई पेश करने का और कानून जानने वाले किसी व्यक्ति से सलाह लेने का और बचाव करने का अधिकार है।

(2) गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को पुलिस (मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के समय के अतिरिक्त) अधिकतम २४ घंटे ही पुलिस किसी व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के अपनी कस्टडी में रख सकती है।

इन अधिकारों के किसी भी उल्लंघन को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा और अगर आप को न्यायपालिका अनुभाग से अधिकार याद हैं तो निश्चित रूप से आप इसके परिणाम जानते हैं।

इस तरह के किसी भी उल्लंघन के मामले में व्यक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत न्याय की मांग कर सकता है और सीधे अपने राज्य के उच्च न्यायालय या भारत के

ISBN : 978-81-966958-3-5

सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है जो अंततः उसे बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है।

लेकिन वे किसी व्यक्ति/अभियुक्त के अधिकारों को कैसे लागू करते हैं?

इसे समझने के लिए आपको भारत के कानूनी इतिहास को जानना होगा। जहाँ तमाम सारे कानूनी अधिकारों के बावजूद पुलिस हिरासत में क्रूरता के कारण मृत्यु तक की ख़बरें आती रहती हैं। इनमे से अधिकांश वाकयों में मौत होने के बाद रिपोर्ट लिखी गयी, चूंकि आधिकारिक रिकॉर्ड में गिरफ्तारी को दिखाए जाने के बाद ही स्वाभाविक रूप से सुरक्षा उपाय और अधिकार लागू होते हैं। जिसका अर्थ है कि अधिकांश मामले जहां हिरासत में हिंसा हो रही है वंहा पुलिस द्वारा गैर-कानूनी गिरफ्तारी की जाती है, जो कि एक तरह कि कुटिल प्रथा का हिस्सा है। इस तरह की गैर कानूनी गिरफ्तारी या अन्य कोई भी कुटिल प्रथा निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है।

डी.के.बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हिरासत में हिंसा के गंभीर मुद्दे को संबोधित करते हुए, संविधान में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की है। अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 5 में गिरफ्तारी से संबंधित कुछ विशिष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए है। और अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह दोहराया की यह बहुत आवश्यक है कि किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी करते समय पूरे देश में पुलिस अधिकारियों द्वारा इसका पालन बिना किसी चूक के किया जाए।

ISBN : 978-81-966958-3-5

इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को लोकप्रिय रूप से डी. के. बसु दिशानिर्देश के रूप में जाना जाता है जो इस प्रकार है:-

1. गिरफ्तारी करने वाले और गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करने वाले पुलिस कर्मियों को उनके पदनामों के साथ सही और स्पष्ट पहचान और नाम टैग पहने रखना चाहिए। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से पूछताछ करने वाले पुलिस कर्मियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।

2. गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी, गिरफ्तारी के समय, गिरफ्तारी की एक सूचना तैयार करेगा, और इस तरह के ज्ञापन को कम से कम एक गवाह द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जो या तो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य या जिस इलाके से गिरफ्तारी की गई है उस इलाके का, सम्मानित व्यक्ति हो सकता है। इसमें गिरफ्तार व्यक्ति के द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे और तारीख, व समय लिखा जाएगा।

3. गिरफ्तार किया गए व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने परिवार वाले या संबंधियों तक पहुंचा सके। अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अपने जिले में नहीं है तो पुलिस इसकी सूचना उसके परिवार वालों तक 8 से 12 घंटे के भीतर टेलीग्राम के माध्यम से पहुंचाएगी।

4. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति संबंधित अधिकारी उस के अधिकारों के बारे में बताएगा।

ISBN : 978-81-966958-3-5

5. डायरी में व्यक्ति की गिरफ्तारी के संबंध में एक प्रविष्टि की जानी चाहिए, जिसमें गिरफ्तारी के बारे में सूचित किए गए व्यक्ति के मित्र का नाम और पुलिस अधिकारियों के नाम और विवरण का भी खुलासा हो। यह भी निश्चित हो कि उसे किस स्थान पर हिरासत में लिया गया व वह किस की हिरासत में है। इस गिरफ्तारी मेमो पर हिरासत में लिया गया व्यक्ति हस्ताक्षर कर इस बात की पुष्टि करेगा कि इन सब बातों या नियमो का पालन हुआ है।

6. यदि गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति अनुरोध करे तो, गिरफ्तारी के समय भी उसकी जांच की जानी चाहिए,और उस समय उसके शरीर पर कोई बड़ी और छोटी चोट हो, तो वह दर्ज की जानी चाहिए। 'निरीक्षण ज्ञापन' पर गिरफ्तार व्यक्ति और गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और इसकी कॉपी गिरफ्तार व्यक्ति को प्रदान की जानी चाहिए।

7. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यथाशीघ्र स्थानीय सरकारी अस्पताल में सरकारी डॉक्टर द्वारा चिकित्सा परीक्षण के लिए के जाना अनिवार्य है। ताकि उसकी बॉडी पर पहले से किसी भी तरह का चोट या जख्म तो नहीं है इसका पता चल सके। हिरासत के दौरान हर 48 घंटे में प्रशिक्षित सरकारी डाक्टर द्वारा जांच की प्रक्रिया दोहराई जना चाहिए।

8. उपरोक्त संदर्भित गिरफ्तारी के ज्ञापन सहित सभी दस्तावेजों की कॉपी मजिस्ट्रेट को उनके रिकॉर्ड के लिए भेजी जानी चाहिए।

ISBN : 978-81-966958-3-5

9. पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति को अपने वकील से मिलने का अधिकार है।

इन दिशा-निर्देशों का ज्ञान एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है खासकर जब वे वंचित और अनपढ़ ग्रामीणों के बीच काम कर रहे हों, क्योंकि यही निरक्षर वर्ग है जो पुलिस के हाथों सबसे अधिक पीड़ित होता है। ये दिशानिर्देश इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में उल्लेखित और भारत के संविधान में दिया गए अधिकारों का सार है जो प्रत्येक आरोपी को प्राप्त है।

विचाराधीन कैदियों के अधिकार :

जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे तब तक आरोपी के रूप में संदर्भित किया जाता है जब तक कि वह अदालत द्वारा भारतीय कानून के मुताबिक दोषी साबित नहीं हो जाता। आप अब तक पढ़ चुके हैं कि पुलिस को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर एक गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। यहां से कानून उसके अपराध की गम्भीरता के आधार पर तय करेगा कि व्यक्ति को जेल भेजा जाएगा, जमानत पर रिहा किया जाएगा या फिर पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में रखा जाएगा। यदि कानून की आवश्यकता है कि जमानत से इनकार करके उसे एक निश्चित अवधि के लिए जेल में रखा जाए, तो उसे विचाराधीन कैदी कहा जाएगा। एक विचाराधीन कैदी के पास कई कानूनी अधिकार भी होते हैंजो उसे जेल में सुरक्षित करते हैं। विचाराधीन कैदी के कुछ संवैधानिक अधिकार आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। प्रत्येक विचाराधीन कैदी को

ISBN : 978-81-966958-3-5

कारावास और न्यायालय में विचारण के दौरान निश्चित अधिकार है। उसे जेल में सुरक्षित करने वाले अधिकार इस प्रकार हैं :-

- जेल में मानवीय व्यवहार का अधिकार: अभियुक्त व्यक्तियों से जेल अधिकारियों द्वारा मानवीय व्यवहार किया जाएगा।
- जेल में परिवार से मिलने का अधिकार
- एकान्त कारावास के विरुद्ध अधिकार

ऊपर दिए गए अधिकारों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का सार निहित है जो देश के प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जीवन के अधिकार की व्याख्या विभिन्न अवसरों पर जेल के अंदर भी, मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार के लिए की जाती है। जेल के अंदर विचाराधीन कैदी को सुरक्षित करने वाले अधिकारों के समान ही ऐसे अधिकार हैं जो उसके लिए एक निष्पक्ष न्यायिक परीक्षण सुनिश्चित करते हैं :

- मुकदमे के दौरान उपस्थित होने का अधिकार: दंड22 प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 की धारा 273 में प्रावधान है कि सभी साक्ष्य और बयान आरोपी या उसके आपराधिक वकील की उपस्थिति में दर्ज किए जाने चाहिए।
- दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार- विचाराधीन कैदी को अपने मामले को अदालत में पेश करने के लिए अपने वकील के माध्यम से सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार है।

ISBN : 978-81-966958-3-5

- मुकदमे में उपस्थित होने का अधिकार- विचाराधीन कैदी को अपने मुकदमे के दौरान उपस्थित होने और उसके सामने गवाही प्रस्तुत करने का अधिकार है। इसके लिए जेल प्रशासन विचाराधीन कैदी को न्यायालय में पेश करने की व्यवस्था करेगा।
- अपील का अधिकार- विचाराधीन कैदी को अपनी जमानत के लिए न्यायालय में अपील दायर करने का अधिकार है।

जमानत का अधिकार :

किसी आरोपी की जमानत को सीआरपीसी में कानूनी अधिकार माना जाता है क्योंकि हम जानते हैं किएक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह एक उचित संदेह से परे दोषी साबित नहीं हो जाता है। और इसलिए न्यायाल से दोषी साबित होने के बाद ही सजा शुरू होनी चाहिए। कई ऐतिहासिक निर्णयों में कई उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से माना है किबिना किसी दोषसिद्धि के किसी को उनकी स्वतंत्रता से वंचित करना एक सजा के रूप में माना जाना चाहिए। जमानत का सिद्धांत कहता है कि विचाराधीन कैदी के लिए जेल, ज़मानत के नियम और अधिकार का अपवाद है और इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार किसी व्यक्ति से तब तक नहीं छीना जा सकता, जब तक कि कानून द्वारा इसकी अत्यधिक आवश्यकता न हो। जमानत की अवधारणा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए थी। इसलिए जमानत पर रिहा होने का अधिकार गिरफ्तारी के ठीक बाद या गिरफ्तारी की सुस्थापित आशंका पर भी प्राप्त होता है।

ISBN : 978-81-966958-3-5

गैर कानूनी हिरासत से बचने के लिए भारतीय कानून के तहत तीन प्रकार की जमानत याचिकाएं दायर करने की अनुमति है: -

1. अग्रिम जमानत, सीआरपीसी की धारा 438 अग्रिम जमानत से संबंधित है जो गिरफ्तारी की प्रत्याशा या आशंका में लागू होती है।

2. अंतरिम जमानत जो जमानती अपराधों के लिए गिरफ्तारी के ठीक बाद सीआरपीसी की धारा 436 के तहत दायर की जा सकती है।

3. बांड द्वारा जमानत एक ऐसे व्यक्ति को दी जा सकती है जो एक गैर-जमानती अपराध के आरोप में विचाराधीन कैदी है। इस आरोपी को व्यक्तिगत बांड या जमानत देने की शर्त पूरी करने पर रिहा किया जा सकता है।

इस खंड में आपको जिन दो और शर्तों को जानने की जरूरत है वह है जमानती अपराध और गैर-जमानती अपराध के बीच का अंतर है।

जमानती अपराध वे होते हैं जो प्रकृति में कम जघन्य होते हैं और इसलिए इस प्रकार के अपराधों के लिए सजा कम-गंभीर होती है। इसलिए आरोपी अपने अधिकार के तहत जमानत पर रिहा होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसलिए अदालत और पुलिस के लिए यह अनिवार्य है कि वह गिरफ्तारी या हिरासत कि प्रक्रिया पूरी होने पर जमानती अपराध के आरोपी को रिहा करे।

ISBN : 978-81-966958-3-5

गैर-जमानती अपराध वे होते हैं जो प्रकृति में हिंसक या जघन्य होते हैं और यदि उन्हें कानून की अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है तो उनके लिए लंबी अवधि की सजा होती है। लेकिन गैर-जमानती शब्द का अर्थ यह नहीं है कि जमानत बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती। इसका सीधा सा मतलब है कि गैर-जमानती अपराधों का आरोपी गिरफ्तारी या हिरासत के समय अपने अधिकार के हवाले से अपनी जमानत का दावा नहीं कर सकता है। फिर भी वह अपने मुकदमे के दौरान अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और यह अदालत के विवेक पर निर्भर करता है कि आरोपी को जमानत दी जाए या नहीं।

पैरोल :

पैरोल एक प्रकार की सशर्त स्वतंत्रता को संदर्भित करता है जिसे एक सजायाफ्ता कैदी द्वारा मांगा जा सकता है यदि उसे उसकी सजा के दौरान समाज के साथ फिर से घुलने-मिलने योग्य समझा जाता है। पैरोल के आवेदक को अपनी सजा के दौरान अल्पकालिक स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए कुछ शर्तों का पालन करने की आवश्यकता है। चूंकि पैरोल एक सशर्त अधिकार है इसलिए इसका अनुदान पूरी तरह से जेल प्रशासन के विवेक पर आधारित है। हालाँकि पैरोल के लिए आवेदन पर विचार करते समय जेल अधिकारी विभिन्न कारकों जैसे कि किए गए अपराध, पिछले आपराधिक रिकॉर्ड और जेल में उसके व्यवहार की जांच करते हैं। यदि आवेदक पैरोल पर रिहा होने की शर्तों को पूरा करता है तो उसे अपनी रिहाई की अवधि के लिए अच्छे व्यवहार की कुछ शर्तों को भी पूरा करना होगा। शर्तें जैसे :-

ISBN : 978-81-966958-3-5

- अपराधियों के साथ किसी भी संपर्क से बचना और आपराधिक गतिविधियों में शामिल न होना
- शराब और नशीली दवाओं के उपयोग से बचना या किसी के रोजगार में संलग्न न होना,
- जब तक ऐसा करने के लिए न कहा जाए तब तक अपने निवास स्थान से बाहर न निकलें।

अपराध के पीड़ितों के लिए अधिकार :

जिस तरह भारतीय कानून में अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा की गई है उसी तरह पीड़ितों के अधिकारों और चुनौतियों को भी भारत में कानून निर्माताओं ने अच्छी तरह समझा और माना है। एक पीड़ित को दोहरी पीड़ा का सामना करना पड़ता है एक वह पीड़ा जो उस के खिलाफ हुए अपराध से उपजी और दूसरी जो उसे न्याय लेने के लिए एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया से गुजरने में झेलनी पड़ती है। अपराध और जटिल न्याय व्यवस्था का पीड़ित भी निश्चित रूप से कानून द्वारा कुछ राहत का पात्र है। और इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357A के अन्तर्गत प्रावधान है की केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य सरकार को बलात्कार, एसिड हमले की पीड़ित, बाल शोषण के पीड़ित, मानव तस्करी आदि जैसे यौन अपराधों के शिकार को मुआवजा देने के लिए एक निधि प्रदान करेगी। सीआरपीसी की धारा 357 ए इस प्रकार है :-

ISBN : 978-81-966958-3-5

"प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र सरकार के समन्वय से, पीड़ित या उसके आश्रितों को मुआवजे के उद्देश्य से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक योजना तैयार करेगी"। इस योजना के अन्तर्गत हर वह व्यक्ति लाभार्थी होगा, जिसे अपराध के परिणामस्वरूप नुकसान या चोट लगी है या जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है। अर्थात यदि पीड़ित को हुए नुकसान या चोट से यदि परिवार कि होने वाली आय को नुकसान हुआ है तो पीड़ित और उसका परिवार भी मुआवजे का हकदार है।

इस योजना के अन्तर्गत उन मामलों में भी मुआवजा प्रदान किया जाएगा, जहां अपराधी का पता नहीं लगाया गया है या उसकी पहचान नहीं की गई है लेकिन पीड़ित की पहचान की गई है और जहां कोई मुकदमा नहीं होता है पीड़ित या उसके आश्रित राज्य या जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य या जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (SALSA या DLSA) पीड़ित और अपराध के बारे में जांच करेगा और तथ्यों के उचित सत्यापन के बाद या तो SALSA या DLSA जांच पूरी होने के दो महीने के भीतर पर्याप्त मुआवजा देगा।

मुआवजे के प्रावधान को मजबूत करने के अलावा पिछले 2 दशकों में पीड़ितों के कुछ अन्य अधिकारों को सुरक्षित किया गया तथा बढ़ाया गया है। पीड़ितों के पक्ष में सीआरपीसी (CrPC) की धारा 372, 2009 के संशोधन अधिनियम संख्या 5, के माध्यम से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार किया गया है। संशोधन के बाद अब पीड़ित/पीड़िता

ISBN : 978-81-966958-3-5

अपने हितों की रक्षा के लिए आपराधिक मुकदमे में भाग ले सकता/सकती है इसमें भाग लेने के अधिकार इस प्रकार हैं: -

- न्यायालय की अनुमति से मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना और/या ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्देश प्राप्त करना।
- गवाहों से सवाल पूछना या अदालत को उन सवालों का सुझाव देना जो गवाहों के सामने रखे जा सकते हैं।
- जांच की स्थिति जानने के लिए और कुछ मामलों में आगे की जांच के लिए न्यायालय या पर्यवेक्षी अधिकारी को सलहा देना जिससे सत्य की खोज में सहायता मिल सके।
- जमानत देने या रद्द करने के संबंध में सुनवाई के लिए अपना पक्ष न्यायालय में रखना।
- अभियोजक (प्रोसिक्यूटर) द्वारा तर्क प्रस्तुत करने के बाद तर्कों को आगे बढ़ाने के लिए अपना पक्ष न्यायालय में रखना।
- समझौता योग्य अपराधों के निपटारे के लिए बातचीत में भाग लेना।

संशोधन न केवल ट्रायल में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है बल्कि, अब पीड़ित को न्यायालय द्वारा पारित किसी भी प्रतिकूल आदेश के खिलाफ अपील करने का भी अधिकार है। जिसका अर्थ है कि पहले जहां केवल आरोपी या शासन को आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार था, वहीं अब यदि आदेश अभियुक्त को बरी कर रहा है या कम अपराध

ISBN : 978-81-966958-3-5

के लिए दोषी ठहराया गया है या अपर्याप्त सजा दी गई है या अपर्याप्त मुआवजा दिया गया है , तो पीड़ित भी उच्च न्यायालय में आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है।

तो यहां तक आप ने आपराधिक न्याय प्रणाली के किसी भी स्तर पर किसी भी अनुचित या गैरकानूनी अभ्यास के खिलाफ रक्षा के लिए प्रदान किए गए सभी आवश्यक अधिकारों को पढ़ा। हालाँकि भारतीय न्याय विधान में आरोपी को दोषसिद्धि तक निर्दोष माना जाता है लेकिन अगर वह जमानत पर बाहर नहीं है तो,बेगुनाही की यह स्थिति उस व्यक्ति की मदद नहीं कर पाती है। चूंकि एक आपराधिक मुकदमे की लंबितता का आरोपी व्यक्ति और उसके परिवार के जीवन और स्वतंत्रता पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अक्सर, एक विचाराधीन कैदी परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य होता है और उसकी गिरफ्तारी परिवार पर एक लंबे समय तक चलने वाला कर्ज छोड़ जाती है। वास्तव में यदि अभियुक्त जेल में नहीं भी है तब भी आरोप का सामाजिक कलंक उसकी स्वतंत्रता, सामाजिक स्थिति और सामाजिक स्वतंत्रता को गहराई से प्रभावित करता है। और इन सब विपरीत परिस्थितियों से अभियुक्त या पीड़ित को बचने का एक मात्र उपाय है शीघ्र न्याय प्राप्ति। हालांकि वर्तमान भारत में न्याय वितरण प्रणाली की हालत देखते हुए न्याय तंत्र में इन वंचित सुधारों की निकट भविष्य में आस लगाना भी थोड़ा मुश्किल है।

ISBN : 978-81-966958-3-5

गवाह संरक्षण :

गवाह न्याय की आंख और कान हैं इसलिए उनकी सुरक्षा एक निष्पक्ष न्याय वितरण प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। गवाहों और सबूत के बिना कोई भी अभियोग या मामला आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है इसलिए न्याय तंत्र में गवाह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है जिस पर मामले का भाग्य निर्भर करता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि गवाह आगे आएं और स्वतंत्र और भयराहित स्थिति में अपनी गवाही और बयानों को सामने रखे। सीआरपीसी (CrPC) की धारा 161 के तहत जांच अधिकारी के लिए यह बाध्य है कि गवाह के बयान दर्ज करते समय गवाह को गवाह संरक्षण दिशानिर्देशों से अवगत कराएं। जांच अधिकारी गवाह को सक्षम प्राधिकारी से भी अवगत कराएगा, जिसे वह किसी भी खतरे कि स्थिति में संपर्क कर सकता है। और जांच अधिकारी द्वारा सूचना के इस प्रतिपादन को गवाह द्वारा लिखित रूप में विधिवत स्वीकार किया जाएगा। यानी गवाह हस्ताक्षर कर यह स्वीकार करेगा कि उसे यह अधिकार और जानकारी दी गई है।

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में गवाह सुरक्षा का प्रावधान मौजूद होने के बावजूद गवाहों की पर्याप्त सुरक्षा के लिए या फ़िर गवाहों के लिए भयरहित वातावरण मुहैया करवाने के लिए जिस में वह किसी भी दबाव से मुक्त महसूस करे और न्याय व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

ISBN : 978-81-966958-3-5

सारांश (Summary)

इस इकाई में पुलिस और नयायिक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त के संवैधानिक अधिकारों को समझाया गया हैं। साथ ही पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा, संरक्षा और मुआवजे का जो अधिकार होता हैं उसको भी विस्तार से बताया गया हैं। गवाह भी सुरक्षित रहे इसके विषय में जानकारी दी गई हैं। सार संक्षेप में कहा जा सकता है कि अभियुक्त भी एक इंसान है साथ ही पीड़ित और गवाह भी सामान्य मानव। अपराधी को दंड मिलना सुनिश्चित हैं पर मानवीय प्रतिष्ठा और गरिमा के दायरे में।

अवधारणात्मक शब्दों का अर्थ (Meaning of Conceptual terms)

पैरोल : पैरोल एक प्रकार की सशर्त स्वतंत्रता को संदर्भित करता है जिसे एक सजायाफ्ता कैदी द्वारा मांगा जा सकता है यदि उसे उसकी सजा के दौरान समाज के साथ फिर से घुलने-मिलने योग्य समझा जाता है। पैरोल के आवेदक को अपनी सजा के दौरान अल्पकालिक स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए कुछ शर्तों का पालन करने की आवश्यकता है। चूंकि पैरोल एक सशर्त अधिकार है इसलिए इसका अनुदान पूरी तरह से जेल प्रशासन के विवेक पर आधारित है।

स्व–मूल्यांकन (Self-Assesment)

- **दीर्घ उत्तरीय प्रश्न** (Long answer type questions)

1. न्याय और दंड प्रणाली में एक अभियुक्त के क्या अधिकार होते हैं?
2. विचाराधीन कैदियों को कौन–कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं?
3. अपराध के पीड़ितों के लिए न्याय व्यवस्था में कौन–कौन से अधिकार हैं?
4. गवाह के संरक्षण के लिए कौन–से उपाय किए जाते हैं?

- **लघु उत्तरीय प्रश्न** (Short answer type questions)

1. हिरासत का क्या अर्थ हैं?
2. पैरोल क्या हैं?
3. जमानत किस कहते हैं?

ISBN : 978-81-966958-3-5

4. गवाह से क्या समझते हैं?

- **अति लघुउत्तरीय / वस्तुनिष्ठ प्रश्न** (Very short/ Objective type questions)

1. अग्रिम जमानत क्या हैं?
2. मुआवजें का क्या अर्थ हैं?
3. आरोपी और अपराधी में अंतर कीजिए।
4. क्या पुलिस में आन लाइन शिकायत दर्ज की जा सकती हैं?

प्रदत्त कार्य (Assignment)

1. पुलिस हिरासत के दौरान किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में, राज्य का उच्च न्यायालय या भारत का सर्वोच्च न्यायालय 5 रिट जारी कर सकता है। उन रिटों की सूची बनाइए और उनकी व्याख्या कीजिए।
2. गिरफ्तारी के दौरान विशेष रूप से डीके बसु के दिशा-निर्देशों को उजागर करते हुए एक नुक्कड़ नाटक करें और ग्रामीणों के सामने प्रदर्शन करें।
3. कानूनी अधिकारों और मौलिक अधिकारों के बीच अंतर का पता लगाएं और समझाएं।
4. पता करें कि क्या आपके इलाके में कोई पैरोल पर बाहर है उससे मिलें और उस प्रक्रिया के बारे में नोट करें, जिससे उसे पैरोल पर रिहा होने के लिए गुजरना पड़ा है।
5. अपने जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय का दौरा करें और पीड़ित के लिए मुआवजे के लिए आवेदन प्राप्त होने पर उनके द्वारा की जाने वाली पूछताछ की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त नोट तैयार करें।
6. गवाह सुरक्षा योजना 2018 का सारांश पढ़ें और एक संक्षिप्त नोट तैयार करे (पीडीएफ गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है) और लिखें कि क्या आपके पास इसमें जोड़ने के लिए कोई सुझाव है

संदर्भ (References)

1. भारत का संविधान – सुभाष कश्यप, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली
2. भारत की राजव्यवस्था – एम लक्ष्मीकांत, टाटा मेग्रा हिल, नई दिल्ली
3. भारत का संविधान – डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, बुद्धा पब्लिशर्स, जयपुर
4. भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था – डॉ. अल्पना पारीक, राजस्थान ग्रन्थ अकादमी
5. भारत का संविधान : एक परिचय – डॉ. दुर्गा दास बसु, लेक्सिस नेक्सिस पब्लिकेशन
6. भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता

ISBN : 978-81-966958-3-5

इकाई 5 मानवाधिकार

उद्देश्य:-

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप जानेंगे:-

- मानवाधिकारों का इतिहास
- मानवाधिकारों का विकास
- भारत के संविधान में मानवाधिकारों का अनुकूलन
- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993
- भारत के राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग और अन्य वैधानिक निकायों की भूमिकाएँ
- अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की भूमिकाएँ

क्या मानव समाज में मानवाधिकारों की शुरुवात आधुनिक है या भारत देश में अपने नागरिकों को अधिकार देने का विचार संविधान के अस्तित्व में आने के साथ ही आया? इस के पहले के समाज में क्या मनुष्य सदा से बिना अधिकारों के है जीवन जीता आया है? इन सवालों के जवाब आप की अधिकारों को लेकर समझ को और भी विकसित करेगा।

साथ ही आप का ये जानना भी जरूरी है कि क्या न्यायपालिका और सरकार ही आप के अधिकारों की रक्षक है या और कोई संस्था या संस्थाएँ भी इस काम में सरकार के सहयोग के लिए खड़ी की गई है?

ISBN : 978-81-966958-3-5

मानव अधिकारों का इतिहास और विकास :

मानवाधिकार एक आधुनिक आविष्कार नहीं है इतिहासकार मानव अधिकारों के विचार को बेबीलोन, चीन और भारत की प्राचीन सभ्यताओं में भी पाते हैं। बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, कन्फ्यूशीवाद, हिंदू धर्म, इस्लाम और यहूदी धर्म जैसे प्रत्येक प्रमुख धर्म में उनके सिद्धांतों में मानव के लिए नैतिक संहिता, समानता और आत्म-सम्मान की धारणा है। 539 ईसा पूर्व में, प्राचीन फारस के पहले प्रमुख राजा साइरस द ग्रेट ने बेबीलोन शहर पर विजय प्राप्त करने के बाद दासों को मुक्त किया, अपनी प्रजा को धर्म की स्वतंत्रता दी, और एक फरमान जारी करके नस्लीय समानता स्थापित की। यह डिक्री या राज आज्ञा एक पके हुए मिट्टी के सिलेंडर पर दर्ज की गई थी, जिसे साइरस सिलेंडर के नाम से जाना जाता था। इसे मानव अधिकारों के दुनिया के पहले चार्टर के रूप में मान्यता दी गई,और संयुक्त राष्ट्र की सभी छह आधिकारिक भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के पहले चार लेखों में सिलेंडरों पर उल्लिखित प्रावधानों को शामिल किया गया है।

भारत में भी कई प्राचीन उल्लेख हैं जो सभी मनुष्यों के अधिकारों के दर्शन और अवधारणा को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे दस्तावेजों में उल्लेखनीय हैं 'अशोक के शिलालेख' जो भारत के राजा अशोक द्वारा 272-231 ईसा पूर्व के बीच जारी किए गए थे। इसी तरह ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा को मूल दस्तावेज के रूप में जाना जाता है जिसने अंग्रेजी स्वतंत्रता और अमेरिकन स्वतंत्रता के प्रारूपण को प्रभावित किया। जिसने अमेरिकी संविधान और अधिकारों के विधेयक (1791) को प्रेरित किया जो बाद में आज के कई मानवाधिकार दस्तावेजों के

ISBN : 978-81-966958-3-5

अग्रदूत बना। हालाँकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र के जन्म के साथ मानवाधिकारों का विचार और भी मजबूती के साथ उभरा।

10 दिसंबर, 1948 को, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) को अपनाया गया। इस घोषणा की स्वीकृति के साथ सभी सदस्य राज्यों ने आधिकारिक तौर पर दुनिया के सभी मनुष्यों के अंतर्निहित सम्मान और बराबरी के अधिकारों को मान्यता दी। साथ ही मानवाधिकार के सिद्धांत को दुनिया के 185 से अधिक देशों के संविधानों में शामिल किया गया।

भारत के संविधान में मानवाधिकारों का अनुकूलन :

भारत का संविधान उसी समय के आसपास तैयार किया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948) लागू हुई थी। और ड्राफ्टर्स वे लोग थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार के हाथों भारतीयों के नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की अनदेखी के कारण बहुत अपमान और हानि उठानी पड़ी थी। इसलिए जब उन्हें स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने का काम सौंपा गया, तो उन्होंने बहुत सावधानी से अधिकारों के खंड पर ध्यान दिया, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति, धर्म, रंग, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का शिकार ना हो। संविधान निर्माताओं ने सभी प्रकार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया, जो देश के प्रत्येक नागरिक के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए भारत का संविधान बड़े पैमाने पर

ISBN : 978-81-966958-3-5

मानवाधिकारों को बढ़ावा देता है और इसके महत्व को पहचानता है। साथ ही साथ यह इसके भाग- III में मौलिक अधिकारों के तहत उनकी गारंटी देता है। भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत और बाद में मौलिक कर्तव्यों के जोड़े गए हिस्से में, मानवाधिकारों की भावना को सर्वोपरि रखता है।

भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार शामिल हैं। और अन्य न्यायोचित अधिकारों के विपरीत, मौलिक अधिकार एक संवैधानिक उपाय द्वारा संरक्षित हैं। संविधान का अनुच्छेद 32 इन मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र के रूप में संवैधानिक उपचार के अधिकार की गारंटी देता है। हालाँकि मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं हैं वे कुछ प्रतिबंधों के अधीन हैं। प्रतिबंध इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को अन्य साथी नागरिकों के अधिकारों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जिसका अर्थ है कि प्रतिबंध भी सभी के लिए मानवाधिकारों का एक अनिवार्य हिस्सा हैं।

हालांकि संविधान के ढांचे ने मौलिक अधिकारों के भाग 1 में बिना किसी पूर्वाग्रह के एक नागरिक के रूप में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी अधिकारों को रखा है। फिर भी अधिकारों के कुछ महत्वपूर्ण खंड, जिन्हें मौलिक अधिकारों के साथ जोड़ा जाना संभव नहीं था, उन्हें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के भाग- IV में रखा, जो शासन के

ISBN : 978-81-966958-3-5

अनिवार्य सिद्धांत हैं। राज्य द्वारा अपनी नीतियों के निर्माण में इस संवैधानिक जनादेश का पालन किया जाना है एक तरह से अनिवार्य है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को पूरी तरह से सार्थक करने के लिए सरकार को धीरे-धीरे ऐसी नीतियां बनाने की आवश्यकता है जो लोगों के कल्याण को बढ़ावा दें। डीपीएसपी (DPSP) राज्य को सामाजिक न्याय, काम का अधिकार, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा, मजदूरों के लिए न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों के प्रावधान की आवश्यकता पर जोर देता है। कमजोर वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के अलावा पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए भी राज्य का कर्तव्य सुनिश्चित करता है। राज्य द्वारा पर्यावरण और वन्य जीवन के संरक्षण और सुधार को भी बढ़ावा दिया जाएगा यह भी आदेशित करते है।

नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना केवल राज्य की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह साथी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सम्मान करे और इसलिए मौलिक कर्तव्यों का खंड भारत के संविधान में 1976 में एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। . संविधान के भाग 4 ए का अनुच्छेद 51 ए प्रत्येक नागरिक पर सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने, मिश्रित संस्कृति को संरक्षित करने और बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए कुछ नैतिक दायित्व डालता है। चूंकि कानून का शासन भारतीय संविधान की एक बुनियादी विशेषता है अतः मौलिक अधिकारों की रक्षा और उन्हें समुचित रूप से लागू करने का जिम्मा उच्च न्यायपालिका का संवैधानिक जनादेश है। शायद यही कारण है कि कई मामलों में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है

ISBN : 978-81-966958-3-5

कि कुछ अधिकारों, जो मानव अधिकारों को सीधे प्रभावित करता है जैसे, मानव गरिमा का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बचपन की सुरक्षा आदि, के उल्लंघन के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए ।

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 :

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में 1993 में बनाया गया, जो देश में एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है ताकि उनके क्षेत्र में मानवाधिकारों की बेहतर सुरक्षा हो सके। 'मानवाधिकार' को अधिनियम की धारा 2(1)(डी) में परिभाषित किया गया है जिसमें वह सभी अधिकार शामिल है जो किव्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकार है और जिन्हें संविधान द्वारा गारंटीकृत किया गया हैं, जी की अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में शामिल हैं और अदालतों के द्वारा लागू किये जा सकते है। आयोग का प्राथमिक कार्य मानव अधिकारों के उल्लंघन की रोकथाम में उल्लंघन या लापरवाही की जांच करना है। साथ ही साथ यह आयोग लोगों के बीच मानवाधिकार की संस्कृति को भी बढ़ावा देता है ताकि इन अधिकारी के बारे ज्यादा से ज्यादा लोगो को जागरूक किया जा सके।

1993 में अपने गठन के बाद से, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का पूरक हैं। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य

ISBN : 978-81-966958-3-5

मानवाधिकार आयोग है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को उसके उद्देश्य को पूरा करने में सहायता करता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC\National Human Rights Commission) की संरचना :

लेकिन इससे पहले कि हम NHRC की भूमिकाओं और कर्तव्यों को पढ़े, आइए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना पर एक संक्षिप्त नज़र डालें। आयोग में एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य होंगे। एक व्यक्ति जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है सिर्फ वही अध्यक्ष बनने के योग्य है। अन्य सदस्यों को निम्नलिखित श्रेणियों से नियुक्त किया जाता है:-

- एक सदस्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता हैं। ;
- एक सदस्य किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है।
- दो सदस्यों की नियुक्ति उनके विशेष ज्ञान या मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुभव के आधार पर की जाती है और,

ISBN : 978-81-966958-3-5

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एनएचआरसी के पदेन सदस्य हैं।

सभी सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री और अधिनियम में निर्दिष्ट पांच अन्य सदस्य शामिल होते हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका :-

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों द्वारा अधिनियम द्वारा निष्पादित की जाने वाली भूमिकाएँ और कार्य इस प्रकार हैं: -

- सरकार द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन या किसी लोक सेवक की लापरवाही से सक्रिय रूप , या प्रतिक्रियात्मक रूप से अगर किसी व्यक्ति या जन समूह के मानवाधिकारों का हनन हुआ हो,या हो रहा हो तो, उस मामले में पूछताछ करना या जांच के आदेश देना (NHRC या तो किसी शिकायत पर प्रतिक्रिया दे सकता है या यह मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी भी मुद्दे पर स्वतः संज्ञान ले सकता है।
- न्यायालय के समक्ष लंबित मानव अधिकारों के उल्लंघन के किसी भी आरोप से संबंधित किसी भी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना।

ISBN : 978-81-966958-3-5

- आतंकवाद के कृत्यों और अतंकवाद की घटनाओं के कारकों की समीक्षा करना जो मानव अधिकारों के प्रवर्तन को बाधित करते हो। संज्ञान लेने के बाद उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना भी NHRC के कर्तव्यों में शामिल हैं।
- मानवाधिकारों पर संधियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय उपकरणों का अध्ययन करना, और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना।
- कैदियों के रहन-सहन की स्थिति का अध्ययन करने के लिए जेलों, अस्पतालों, किशोर गृहों, मानसिक चिकित्सालयों आदि का दौरा करना।
- मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करना और प्रकाशनों, मीडिया, संगोष्ठियों और अन्य उपलब्ध सामग्री के माध्यम से इन अधिकारों के सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना।
- मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना।
- किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी ऐसे मामले की जिस में मानवाधिकारों का हनन शामिल हो सकता है या उस से संबंधित रिकॉर्ड या उसकी प्रति की मांग करना।
- बाल यौन शोषण जैसे मामलों में रिपोर्टिंग बारे में मीडिया को मार्गदर्शन प्रदान करना ताकि किसी नाबालिक के मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो सके।

ISBN : 978-81-966958-3-5

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस दृढ़ विश्वास के साथ किशासन- प्रशासन, लोगों के संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप काम कर रहा है शासन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। तो अब आप इस वैधानिक निकाय के बारे में जानते हैं जो सुनिश्चित करता है किकिसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है लेकिन यह ज्ञान तब तक किसी काम का नहीं होगा जब तक कि आप किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए अपनी शिकायत दर्ज करना नहीं जानते (एक विदेशी नागरिक सहित)। और साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि किन अधिकारों के उल्लंघन कि शिकायत मानवाधिकार आयोग द्वारा सुनी जाएगी।

उल्लंघन के निम्नलिखित मामलों के लिए कोई भी आयोग से संपर्क कर सकता है:-

- पुलिस और न्यायिक हिरासत में हुई मौतों के संबंध में कोई शिकायत,
- पुलिस, सेना या अर्धसैनिक बलों द्वारा फर्जी मुठभेड़ के मामले में,
- पुलिस द्वारा अवैध रूप से हिरासत में रखना, जबरन वसूली करना और डराना-धमकाना या मामले दर्ज न करने पर
- नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने में पुलिस की विफलता के मामले में
- प्रभावी जांच करने में विफलता के मामले में,
- पुलिस हिरासत में या न्यायिक हिरासत में पीटना, प्रताड़ित करना या बलात्कार होने के मामले में,

ISBN : 978-81-966958-3-5

- पुलिस थानों और जेलों में कानूनी सहायता, स्वच्छ भोजन या स्वच्छता की बुनियादी सुविधाओं से इनकार,
- दलितों को बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर करके या गांव के तालाबों, कुओं और जल स्रोतों तक पहुंच से वंचित करके उनके खिलाफ अत्याचार करने के मामले में,

चूंकि स्वच्छ पर्यावरण भी स्वस्थ मानव जीवन के लिए प्राथमिक आवश्यकता है प्रदूषण के खिलाफ शिकायतें जो लोगों की जीवन स्थिति को प्रभावित करती हैं उन्हें भी मानवाधिकार आयोग के पास दायर किया जा सकता है।

मानवाधिकार आयोग की शिकायत कैसे दर्ज करें?

NHRC की स्थापना के साथ, मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को एक नया अवसर प्रदान किया गया था। सरकार द्वारा किसी भी प्रकार के मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में, किसी भी लोक सेवक, कानून या पुलिस द्वारा प्रताड़ित कोई भी व्यक्ति सीधे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जा सकता है। शिकायतों को देखने के लिए आयोग का अपना जांच विभाग होता है जिसका नेतृत्व राज्य के पुलिस महानिदेशक करते हैं। आयोग जांच करने में केंद्र सरकार की या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी या जांच एजेंसी की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। कुछ मामलों में, आयोग ने जांच के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को भी संबद्ध किया है। एनएचआरसी में शिकायत दर्ज करने की आवश्यकताएं: -

ISBN : 978-81-966958-3-5

- संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी भाषा में शिकायत दर्ज करें।
- शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- तथापि, आयोग जब भी आवश्यक समझे, आरोपों के समर्थन में और जानकारी और हलफनामे दाखिल करने के लिए कह सकता है।
- आयोग अगर चाहे तो फैक्स या ईमेल के माध्यम से प्रेषित टेलीग्राफिक शिकायतों को भी स्वीकार कर उन पर कार्यवाही कर सकता है।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया और आवश्यकताओं को जानबूझकर आसान रखा गया था, ताकि पीड़ित की वित्तीय या शैक्षणिक स्थिति को मामला दर्ज करने में उसके लिए कोई बाधा न बने।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अलावा भी समाज के हाशिये पर जीवन यापन कर रहे वर्गों के लिए कुछ समर्पित आयोग हैं जो महिलाओं, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों को देखते हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women\NCW) :

आमतौर पर महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। NCW का मुख्य उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन को उजागर करना और उनके मुद्दों और चिंताओं के लिए एक आवाज प्रदान करना है। महिलाओं से संबंधित मुद्दे जैसे कि

ISBN : 978-81-966958-3-5

दहेज, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, धर्म, नौकरियों में महिलाओं के लिए समान प्रतिनिधित्व और काम के बहाने महिलाओं का शोषण हैंजैसे मुद्दों पर नजर रखना और उचित कदम उठाना ही इस आयोग का काम है। इस के अतिरिक्त महिलाओं के अधिकारों को प्रभावित करने वाली नीतियों पर एनसीडब्ल्यू सरकार को सलाह भी देता है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes/NCBC) :

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण और उन्नति के लिए है। इसलिए यह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करता है। अन्य आयोगों की तरह एनसीबीसी भी एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिसमें पिछड़े वर्गों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सिफारिशों और उपायों पर प्रकाश डाला जाता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes/NCSC) :

यह आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में एक संवैधानिक इकाई भी है। यह अनुसूचित जातियों और एंग्लो इंडियन समुदायों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाता है और उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने तथा उनकी रक्षा करने की दिशा में काम करता है।

ISBN : 978-81-966958-3-5

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (National Commission for Scheduled Tribes/NCST):-

संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए है। एनसीएसटी अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेता है और सलाह देता है। यह आयोग अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित होने के संबंध में शिकायतों की जांच भी करता है। इस आयोग की वार्षिक रिपोर्ट भारत में अनुसूचित जनजातियों की आगे की उन्नति और कल्याण के लिए आवश्यक सिफारिशों और उपायों के साथ राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। एनसीएसटी (NCST) संघ और राज्यों के तहत अनुसूचित जनजाति के विकास की प्रगति का मूल्यांकन भी करता है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Commission for Minorities) :

यह आयोग पांच धार्मिक समुदायों यानी सिखों, बौद्धों, पारसियों, ईसाइयों, मुसलमानों के अधिकारों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए है। 2014 में जैन समुदाय को भी इस सूची में जोड़ा गया। इन छह समुदायों में देश की आबादी का लगभग 18.8% हिस्सा है। एनसीएम अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव से उत्पन्न समस्याओं पर प्रकाश डालता है और भेदभाव के कारक को खत्म करने के उपायों की भी सिफारिश करता है।

ISBN : 978-81-966958-3-5

मानव अधिकारों के संरक्षण में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की भूमिका :

विश्व के सभी राष्ट्रध्यक्ष और नेताओं के बीच उनकी राष्ट्रीयता, धर्म या जाति के अंतर के बावजूद प्रत्येक मानव के लिए कुछ अधिकारों के बारे में एक आम सहमति बनी है जिससे कि प्रत्येक इंसान के लिए मानव अधिकार सुनिश्चित करना एक वैश्विक विषय बन गया हैं। यही कारण है कि किसी भी देश में मानवाधिकारों के किसी भी बड़े पैमाने पर उल्लंघन से पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। और जिस तरह आपने देश में काम कर रहे उन सरकारी आयोगों और संस्थाओं के बारे में पढ़ा जो समाज में हाशिए पर जी रहे वर्गों के लिए काम करते है। वैसे ही कई स्वैच्छिक संगठन भी हैं , जो समाज के एक विशेष वर्ग के मुद्दों को उजागर करने के लिए राष्ट्रों और राज्यों की सीमाओं से परे काम कर रहे हैं। इन स्वैच्छिक संगठनों को गैर-सरकारी संगठन कहा जाता है। इन में से कुछ सीमित संसाधनों के साथ सीमित क्षेत्र में काम कर रहे हैं जबकि कुछ दुनिया भर में काम कर रहे हैं। लेकिन सभी आकार और पैमाने के गैर सरकारी संगठनों का अपना महत्व है; जहां स्थानीय गैर-सरकारी संगठन एक विशिष्ट साधन और समाधान के साथ स्थानीय मुद्दे को संबोधित कर सकते हैं वहीं बड़े गैर-सरकारी संगठन उन मुद्दों पर मेहनत करते है जी बड़े पैमाने पर मानवता के लिए संकट बने हुए हैं।

उदाहरण के लिए भारत में ऐसे कई गैर सरकारी संगठन हैं जो उन लोग को सहायता प्रदान कर रहे है जो निरक्षर होने के कारण या कहें कि अपने अधिकारों की जानकारी के अभाव के चलते कानूनी रूप से परेशानियों का सामना कर रहे है। हालाँकि कानूनी-निरक्षरता अन्य

ISBN : 978-81-966958-3-5

देशों में भी एक बड़ी समस्या है लेकिन भारत में साक्षरता के अभाव में लाखों लोगों के जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है इसलिए इस विषय काम कर रहे स्थानीय गैर सरकारी संगठन एक विशेष महत्व रखते हैं। वहीं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन दुनिया भर के सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध रूप से जुटे हुए हैं। इसलिए वे विकासशील देशों में नेताओं, सरकारों और समुदायों के बीच समन्वय की अपनी क्षमता के माध्यम से जटिल समस्याओं और मांगों को हल करने का प्रयास करते हैं। इसी तरह एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संगठन सभी के लिए मानवाधिकार सुनिश्चित करते हैं जिसमें विचाराधीन कैदी और आतंकवादी भी शामिल हैं जिन्हें मौत की सजा दी जाती है। इन एजेंसियों की निःस्वार्थ भागीदारी से आज मानवाधिकारों का विचार और मजबूत हुआ है। हालाँकि समय-समय पर कई गैर सरकारी संगठनों के वित्त पोषण और पक्षपाती इरादे में पारदर्शिता की कमी के बारे में विवाद होते रहे हैं। फिर भी मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के संबंध में गैर सरकारी संगठनों का महत्व स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय है।

सारांश

आपने मानवाधिकारों के मूल विचारो को जाना और इन विचारो की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे सरकारी और गैर-सरकारी की भूमिका के बारे में भी पढ़ा। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपको यह समझना चाहिए कि केवल अधिकार देना तब तक पर्याप्त नहीं होता, जब तक कि किसी राष्ट्र के पास उनकी रक्षा व लागू करने और बढ़ावा देने के लिए

ISBN : 978-81-966958-3-5

उचित तंत्र न हो। अब एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी भी नागरिक या किसी भी मनष्य के अधिकारों का उल्लंघन के मामले में कहाँ पहुँचना है और कैसे पहुँचना है। यह अध्याय एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपके करियर/भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब यह आपका कर्तव्य है कि आप दी गई गतिविधियों का अच्छे से अभ्यास करें और अपने ज्ञान को और अधिक मजबूत करें।

अवधारणात्मक शब्दों का अर्थ **(Meaning of Conceptual terms)**

- **मानव अधिकार :** मानव अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्रदत्त वे अधिकार हैं जिनसे कोई नागरिक अपना जीवन मानवीय गरिमा और प्रतिष्ठा के अनुकूल व्यतीत कर सकता है।

स्व–मूल्यांकन **(Self-Assesment)**

- **दीर्घ उत्तरीय प्रश्न** (Long answer type questions)

1. मानवाधिकारों के इतिहास पर प्रकाश डालिये।
2. मानवाधिकारों का क्रमिक विकास को समझाइये।
3. भारत के संविधान और मानवाधिकारों के अंर्तसंबंधों की समीक्षा कीजिए।
4. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालिये।
5. भारत में वंचित वर्गों के संरक्षण के लिए गठित विभिन्न आयोगों के उद्देश्य और कार्य प्रणाली को समझाइये।

- **लघु उत्तरीय प्रश्न** (Short answer type questions)

1. मानवाधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर हैं?
2. अल्पसंख्यक से आप क्या समझते हैं?
3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं?

ISBN : 978-81-966958-3-5

4. जातियां संविधान की किस अनुसूची में दर्ज हैं?
5. भाषाएं संविधान की किस अनुसूची में दर्ज हैं?

- **अति लघुउत्तरीय / वस्तुनिष्ठ प्रश्न** (Very short/ Objective type questions)

1. मानव अधिकार दिवस किस दिन बनाया जाता हैं?
2. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष कौन हैं?
3. मानव अधिकार आयोग में शिकायत कैसे दर्ज करवा सकते हैं?
4. मानव अधिकार की दिशा में काम करने वाले दो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नाम लिखिए।

प्रदत्त कार्य **(Assignment)**

- अशोक शिलालेखों में उल्लिखित मानवाधिकारों के तत्वों का पता लगाएं।
- उन प्रतिबंधों को परिभाषित करें जिन पर मौलिक अधिकार लागू नहीं होते हैं। यानी कि मौलिक अधिकार जो किसी प्रतिबंध के साथ मिले है उन प्रतिबंध कि व्याख्या करे।
- अपने राज्य के SHRC आयोग के मौजूदा अध्यक्ष और सदस्य के नाम के साथ SHRC की संरचना का पता लगाएं।
- अपने क्षेत्र में सक्रिय कुछ स्थानीय एनजीओ के बारे में पता करें और 5 पृष्ठों के एक छोटे नोट में उनके काम की समीक्षा करें।
- अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों की सूची बनाएं और वह कर्य क्षेत्र भी लिखे जिसमे वे काम करते हैं।

संदर्भ **(References)**

1. भारत का संविधान – सुभाष कश्यप, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली
2. भारत की राजव्यवस्था – एम लक्ष्मीकांत, टाटा मेग्रा हिल, नई दिल्ली
3. भारत का संविधान – डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, बुद्धा पब्लिशर्स, जयपुर
4. भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था – डॉ. अल्पना पारीक, राजस्थान ग्रन्थ अकादमी
5. भारत का संविधान : एक परिचय – डॉ. दुर्गा दास बसु, लेक्सिस नेक्सिस पब्लिकेशन
6. मानव अधिकार एवं भारतीय लोकतंत्र – पुनीत कुमार, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल
7. जानिये मानव अधिकारों को – अनीश भसीन, ग्रन्थ अकादमी